Par. 5 17 II. 27. 53
४४५

अंक २
संख्या २७

गुरुवार
७ मई, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ४११५—४१६२]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४१६३ —४१७०]

(मूल्य ४ आने)

243 P.S.D.

लोक सभा

गुरुवार, ७ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा भेजे गये पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*१९१२. **श्री एस० सी० सामन्त :** पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५२ से पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्तियों को उड़ीसा-राज्य भेजा गया है;

(ख) क्या थोड़े बहुत व्यक्तियों को हीराकुड परियोजना कार्य में लगाया गया है;

(ग) यदि लगाया गया है तो कितनों को;

(घ) क्या १९५२ में उनके पुनर्वास के लिए कोई नई बस्ती बसाई गई है; तथा

(ङ) इस काल में कितने व्यक्ति उड़ीसा राज्य से लौट आये हैं?

पुनर्वास उप-मंत्री (श्री जे० के० भोंसले):

(क) ५,३४६

(ख) नहीं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

(घ) हां। पुरी जिला में भुसंदपुर बस्ती के पास एक नई बस्ती बसाई गई है।

(ङ) १,७७२

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है, श्रीमान्, कि हमें दी गई पुनर्वास सम्बन्धी रिपोर्ट में कहा गया है कि १५८ व्यक्तियों को वहां काम पर लगा दिया गया है।?

श्री जे० के० भोंसले : श्रीमान, मैं इसकी पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५२ में उड़ीसा भेजे गये व्यक्तियों में कितने व्यक्ति कृषक थे?

श्री जे० के० भोंसले : ३७७३

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा में इन व्यक्तियों की स्थितियों का तथ्य निर्धारण समिति भी पर्यवेक्षण करेगी?

श्री जे० के० भोंसले : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा से वापस आये व्यक्तियों में से कुछ फिर उड़ीसा चले गये हैं?

श्री जे० के० भोंसले : हां, श्रीमान्; दो दल, एक परिवारों का और दूसरा ३० व्यक्तियों का।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने समय तक सरकार उड़ीसा के विस्थापित व्यक्तियों को हावड़ा स्टेशन पर ठहरने देगी ?

केन्द्रीय पुस्तकालय, दिल्ली

*१९१४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एक केन्द्रीय पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

(ख) क्या कोई योजना बनाई गई है ?

(ग) यदि बनाई गई है तो क्या सरकार ने उसे प्रस्वीकृति दे दी है ?

(घ) योजना तथा पुस्तकालय बनाने का सम्पूर्ण अनुमान क्या है ?

(ङ) पूर्ण होने के पश्चात पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें रखी जा सकेंगी ?

(च) क्या पुस्तकालय खण्डों में बनेगा अथवा सम्पूर्ण एक साथ ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) आजकल मन्त्रालय राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की योजना को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए एक परीक्षात्मक योजना बनाई गई है परन्तु सरकार ने अभी इस पर विचार नहीं किया है।

(ग) से (च). उत्पन्न नहीं होते।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई नक्शा या प्लान सैन्ट्रल लाइब्रेरी के बनाने के लिए तैयार किया है, और अगर हां, तो उस पर कब तक विचार हो जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मन्त्रालय ने योजना पर अपने विचार प्रगट किये थे, यद्यपि पिछली बार लागत के कारण इसने योजना को छोड़ दिया था। अब योजना आयोग का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया गया है, वे योजना पर विचार कर रहे हैं आजकल मन्त्रालय योजना की कुछ कठिनाइयों की जांच कर रहा है, मुख्यकर राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, भारत कार्यालय पुस्तकालय तथा प्रति लिपि-अधिकार से इसके संबन्ध के विषय में।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो योजना अब तैयार की गयी है इस पर कितनी धनराशि व्यय की जायगी और जो योजना पहले तैयार की गई थी उस पर व्यय होने वाली रकम में और इस योजना की रकम में कितना अन्तर होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी तो इस संबन्ध मे कोई निश्चय नही हुआ है। मैं ने माननीय सदस्य को बतलाया था कि इसपर फिर से विचार किया जा रहा है ; इस पर प्लानिंग कमीशन फिर विचार कर रही है। पहले जब इस स्कीम पर कमेटी द्वारा विचार हुआ था तब तखमीना लगाया गया था कि इस पर हर साल करीब ५० लाख रुपया नान रिकरिंग खर्च होगा और इस पर कुल १७६ लाख रुपयें की नान रिकरिंग ग्रांट का तखमीना किया गया था। यह रकम इतनी बड़ी थी कि मालूम हुआ कि यह हमारी ताकत से बाहर है। इसलिए हम ने इस स्कीम को छोड़ दिया।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, इस तथ्य की दृष्टि से कि यह केन्द्रीय राष्ट्रीय

पुस्तकालय होगा, मैं जान सकता हूं कि क्या इसमें भारत की कुल राष्ट्रीय भाषाओं की पुस्तकें कदापि नहीं होनी चाहिए ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्; म ने बताया कि इस विषय की भी जांच हो रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सैन्ट्रल लाइब्रेरी के लिए कोई स्थान पसन्द कर लिया गया हैं । यदि हां, तो कहां पर ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी तो इस से हम बहुत दूर है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस लाइब्रेरी के लिए यूनेस्को से कोई मदद मिलती है या नही ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने कहा कि इस पर तो विचार हो रहा है । अभी तक इस संबन्ध में भी निश्चय नहीं हुआ है । यह कहना तो बहुत ही दूर होगा कि युनस्को से कोई सहायता मिलेगी या नहीं क्योंकि अन्तिम रूप से कोई फैसला अभी हुआ ही नहीं है।

प्रो० डी० सी० शर्मा: क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि बहुत से राज्य सी प्रकार के पुस्तकालय बना रहे है और क्या इस प्रकार यह दुगुनीकरण न होगा ? यह कैसे संभव होगा कि कुछ पुस्तक राज्य-पुस्तकालयों को और कुछ पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तकालय को नियत की जायें ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न का संबंध केन्द्रीय राष्ट्रीय पुस्तकालय से है। राज्य-पुस्तकालय संभंवत: अपना कार्य स्वंय कर रहै हैं ।

गिरबी रखे ग्रामीण निष्क्रान्त-क्षत्र

१९१५. **श्री माधव रड्डी** : **पूनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब ओर पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के क्रामानकूल गिरवी रखे हुए कोई ऐसे ग्रामीण निष्क्रान्त क्षेत्र हैं जो उन मुसलमानों के थे, जो १९४७-४८ में विभाजन के पश्चात पाकिस्तान चले गये, और जो अब भी गैर-मुसलमानों के अधिकार में ", यदि हां तो उसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले): हां ।

पंजाब—७८,४४० स्टैन्डर्ड एकड़

पैप्सू—३०,७६२ ,, ,,

श्री माधव रड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का विचार ग्रामीणों को सन्तुष्ट करने के लिए इस भूमि का निष्क्रमण करने का है ?

श्री जे० क० भौंसले : श्रीमान, इस विषय में कहना सम्भव नहीं है, क्योंकि काम अभी आरम्भ हुआ है और इससे पहिले कि मैं कोई निश्चित उत्तर दे सकू, यह कुछ समय लेगा ।

श्री माधव रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह क्षेत्र ग्रामीण समूहन में अथवा उपनागरिक समूहन में सम्मिलित कर लिया गया है ?

श्री जे० के० भौंसले : श्रीमान, यह ग्रामीण समूहन में है ?

श्री बहादूर सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सम्पत्ति निष्क्रान्त समूहन में रखी जायेगी अथवा जिनके पास है उन्हें दे दी जायेगी ?

श्री जे० के० भौंसले : यह अभी तक निश्चय नहीं हुआ है । योजना पूरे होने पर यह निश्चय किया जायेगा ।

श्री बहादुर सिंह : रखने वालों को किस दर से अभिपूर्ति का भूगतान होगा ?

श्री जे० के० भौंसले : श्रीमान्, इस प्रश्न का मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता ।

कोलम्बो योजना-परिषद का नीति अधिवेशन

*१९१७. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया को टेक्नीकल सहायता के लिए कोलम्बो योजना परिषद के नीति-अधिवेशन ने यह पता लगाया है कि कुल ८० लाख पौ० की निधि से लगभग १३,००,००० पो० व्यय हो चुका है ?

(ख) सलाहकार समिति की बैठक कब और कहां होगी ?

वित्त मन्त्री के संसदीय सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां ; श्रीमान्।

(ख) सलाहकार समिति की आगामी बैठक सितम्बर १९५३ में नई दिल्ली में करने का विचार है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं बैठक की विषय-सूची जान सकता हूं ?

श्री बी० आर० भगत : विषय-सूची में परिषद के कार्य का अवलोकन करना तथा सहकारी विकास के कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार करना है।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान्, इस समिति में कौन कौन भाग ले रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : सलाहकार समिति के सदस्य भाग ले रहे हैं और यदि माननीय सदस्य नाम जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं नाम चाहता हूं।

श्री बी० आर० भगत : वे सदस्य देश हैं आस्ट्रेलिया, बर्मा, कम्बोडिया

उपाध्यक्ष महोदय : कोलम्बो योजना के समस्त देश। यह मुद्रित प्रलेखों में है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या नैपाल सरकार ने प्रार्थना की है कि कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत भारत सरकार इस वर्ष जो सहायता देगी वह नैपाल को दे दी जाये, और यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकती हूं कि उन्हें दी जाने वाली सहायता वास्तव में कैसी होगी ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान, भारत नैपाल को पहिले ही कुछ सहायता दे चुका है और यह प्रशिक्षार्थियों के रूप में है। नैपाल के दो प्रशिक्षार्थी पहिले से ही प्रशिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमान, क्या मैं जान सकता हूं कि दो वर्ष समाप्त होने पर भी ८० लाख पौ० में से केवल १३ लाख पौ० ही क्यों व्यय हुआ है ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, टैक्नीकल सहकारी योजना जुलाई १९५० से लागू हुई है और समझौते के अनुसार यह जून १९५७ तक चलेगी। इस प्रकार यह देखा जायेगा कि ढाई वर्ष के समय में १० लाख से अधिक धन व्यय हो चुका है। अब टैक्नीकल सहायता सम्बन्धी समिति किसी प्रकार तीव्रता से आगे बढ़ रही है और योजना के अन्तर्गत उपकरणों का सभारण किया जा रहा है। यह असंभाव्य नहीं है कि शेष साढ़े चार वर्ष में अवशेष धन व्यय हो जायेगा।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं भारत द्वारा दिये गये धन की मात्रा और उन देशों के नाम जान सकता हूं जिन्हें यह धन दिया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : भारत का चन्दा ७५०,००० पौंड अर्थात एक करोड़ रुपये है। दो वर्षों में यह साढ़े चार लाख से कुछ अधिक व्यय कर चुका है। भारत

जिन देशों को सहायता दी है उनके नाम निम्नलिखित हैं :—बर्मा चार प्रशिक्षार्थी लंका, पांच विशेषज्ञ तथा १५ प्रशिक्षार्थी ; इण्डोनेशिया, दो प्रशिक्षार्थी ; मलाया संघ, पांच प्रशिक्षार्थी ; नैपाल, दो प्रशिक्षार्थी ; पाकिस्तान, १४ प्रशिक्षार्थी ; फिलीपाइन, आठ प्रशिक्षार्थी ; तथा थाईलैण्ड, ६ प्रशिक्षार्थी ।

श्री एस० सी० सामन्त श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि पिछली बार बम्बई में हुई सलाहकार समिति की बैठक की सिफारिशों के अनुसार भारत के लिये प्रस्तावित धन हमें मिल चुका है और हम उसे व्यय कर चुके हैं ?

श्री बी० आर० भगत : प्रथा यह है कि देश सामान्य विकास सामूहन में चन्दा दें ।

त्रिपुर का नागरिक सेवा संघ

*१९१८. **श्री दशरथ देव** : **राज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा के नागरिक सेवा संघ ने संस्था पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए प्रार्थना की है ?

गृह कार्य तथा राज्य मन्त्री (डा० काटजू) : ऐसा कोई मान्यता प्राप्त संघ नहीं है जो त्रिपुरा की नागरिक सेवा संघ के नाम से जाना जाता है । पिछली फरवरी में त्रिपुरा की भूतपूर्व नागरिक सेवा के नौ सदस्यों के एक संस्था के रूप में संस्था पंजीयन अधिनियम, १८६०, के अन्तर्गत पंजीयन के लिये प्रार्थना थी । प्रार्थना पर विचार हो रहा है ।

श्री दशरथ देव : श्रीमान् में जान सकता हूं कि पुनः संगठन के पश्चात् क्या त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन पुलिस के सिपाही के मूल वेतन से भी कम हो गया है ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

तंजौर में मन्दिर

*१९२०. **श्री मुनिस्वामी** : **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास राज्य में तंजौर के वृहत मन्दिर में कोई पुरातत्वी खुदाई हो रही है ; और

(ख) क्या इस खुदाई में हाल में कोई नई चीज़ पाई गई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). जी हां ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार मद्रास राज्य में कोई पुरातत्वी खुदाई करने का विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसके बारे मे नहीं मालूम लेकिन इस खदाई कार्य के आस पास का ऐतिहासिक और पुरातत्वी महत्व का काम भी हाथ में लिया जाएगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं इस खुदाई की गई खोज का ब्यौरा जान सकता हूं ?

श्री के० डा० मालवीय : मन्दिर के आस पास हुई खुदाई में जो चोला काल के चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए हैं उन में शिव को नटराज के रूप में प्रदर्शित करते हुए १०८ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं । चित्रकारी और मूर्तियों से शैवमत, शिव स्तोत्र तथा शिव लीला पर बहुत सा प्रकाश पड़ता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या खुदाई अब भी जारी है, और कब तक यह चलेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : यहां पर कार्य १९३० से चल रहा है ।

श्री टी० एस० ए० चैट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का इन चित्रों का प्रकाशित करने का विचार है जिससे कि वे जनता को उपलब्ध हों ? वे अत्यन्त लोकप्रिय और सुन्दर हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : सरकार इन चित्रों को प्रकाशन देने का प्रयत्न करेगी ।

श्री टी० एस० ए० चैट्टियार : प्रकाशना देना नहीं—मेरा आशय इन्हें प्रकाशित करने से था ।

श्री के० डी० मालवीय : हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री एन० सोमना : ये चित्र किस काल के हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : चोला काल के ।

डेरी ओन सोन रक्षा मंत्रालय की जमीन

***१९२३. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने डेरी ओन सोन में अपनी जमीन पर प्रावेट लोगों को बसाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह विदित है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा लिए जाने से पूर्व यह जमीन विद्यार्थियों द्वारा खेल के मैदान के रूप में प्रयुक्त की जाती थी ; और

(ग) क्या सरकार को उस क्षेत्र के लोगों से इस प्रकार के कोई प्रतिनिधान ? प्राप्त हुए है कि उस जमीन को नगर पालिका को दे दिया जाए जो इसे पार्क अथवा खेल के मैदान में परिणत कर दे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) इस प्रकार का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जमीन सन् १८५६ में ली गई थी इस प्रकार का कोई अभिलेख नहीं है कि उससे पूर्व यह किस प्रयोग में आ रही थी ।

(ग) इस प्रकार का एक प्रतिनिधान स्थानीय सैनिक सम्पत्ति पदाधिकारी से प्राप्त हुआ है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि नगर भर में केवल यही एक स्थान है जहां कि सामाजिक सभाएं हो सकती हैं और खेल खेले जा सकते हैं ?

सरदार मजीठिया : यह तो मुझे नहीं मालूम कि केवल यही जगह है, किन्तु यह ज्ञात हुआ है कि यह जमीन जब खाली पड़ी थी तो युवकवृन्द बिना किराया दिए वहां खेला करते थे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार को कुछ लोगों के नाम प्राप्त हुए हैं जो यह जमीन चाहते हैं ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैं ने बतलाया इस बात पर विचार ही रहा है और सैनिक सम्पत्ति पदाधिकारी से प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है जिस पर कि विचार हो रहा है ।

वार्धक्य आयु

*** १९२४. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह कार्य मंत्री २७ मार्च, १९५३ को

वार्धक्य आयु के सम्बन्ध म पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १०४६ के उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वार्धक्य आयु को ५५ से ५८ वष कर देने के बारे में तब से कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) यदि दशा में जब कि आयु-सीमा न बढ़ाई गई हो, क्या उन लोगो के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जायगा जो कि ५५ वर्ष की आयु में काम करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से ठीक हैं ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). यह निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के नौकरी से अवकाश-ग्रहण करने सम्बन्धी नियमों में कोई परिवर्त्तन नहीं किया जाए।

(ग) उन लोगों के मामलों में जो कि ५५ वर्ष की आयु में फिट और कार्य कुशल रहते हैं, विशेष क वैज्ञानिक और टेकनीकल लोगों के सम्बन्ध म, इस उम्र से बाद भी उन्हें रखने का विचार किया जाएगा यदि जन हित में यह आवश्यक हो।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि आयु-सीमा को बढ़ाने के मामलों पर सरकार ने स्वयं ही विचार किया था या सरकार को कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ था ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इस मामले पर विविध आधारों पर विचार किया गया था। मुझे यह याद नहीं कि कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ था या नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालयों को ऐसे वार्धक्य पदाधिकारियों के नाम भेजने के लिये क्या समयावधि दी गई ह जिनको कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा ?

डा० काटजू : वे अपनी सिपारिशें वार्धक्य होने से पर्याप्त समय पूर्व ही भेज देंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि कोई कालावधि निश्चित की गई है या नहीं।

डा० काटजू : कोई कालावधि निर्धारित नहीं की गई ह किन्तु वे समय रहते भेज देंगे।

श्री ए० एम० टोमस : अखबारों में समाचार था कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वार्धक्य आयु ६० कर दी जायगी। क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव था ? क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव का कुछ विरोध हुआ है और क्या सरकार इस बात पर दृढ़ रहेगा ?

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र अब दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं। इस कार्य के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी ; यह कोई आसान कार्य नहीं है।

श्री बलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि अब कार्यकाल में विस्तार वैज्ञानिक तथा टेकनीकल लोगों का न करके अधिकतर प्रशासनात्मक लोगों का किया जाता है ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं यह बात सही नहीं है।

विश्वभारती विश्वविद्यालय

*१९२५. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विश्वभारती विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल, की स्थायी वित्त समिति में क्या कोई सरकारी प्रतिनिधि हैं ;

(ख) यदि है, तो क्या वह विश्वभारती में उस बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहता है ; और

(ग) विश्वविद्यालय के व्यय पर वह किस प्रकार अपना नियंत्रण प्रयुक्त करता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसधान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) उक्त समिति में भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं हैं ; किन्तु परिदर्शक द्वारा मनोनीत भारत सरकार का एक पदाधिकारी उसका सदस्य है।

(ख) जी हां ।

(ग) स्थायी वित्त समिति के सदस्य के रूप में, परिदर्शक द्वारा मनोनीत पदा-धिकारी, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा वित्तीय प्राक्कलनों की जांच करता है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि सन १९५२--५३ के हिसाब में कोई गड़बड़ी सरकार की निगाह में आई है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे किसी गड़बड़ी के बारे ज्ञात नही हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मै जान सकता हूं कि इस प्रकार की सहायता प्राप्त विश्वविद्यालययों के हिसाब की जांच के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां सरकार को पेश की जाती हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां जांच हुआ हिसाब सरकार को भेजा जाता है।

नौसेना पदाधिकारियों को प्रशिक्षण

***१९२६ श्री के० सी० सोधिया** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि इंजीनियरिंग तथा अन्य शाखाओं में भारतीय नौसेना के पदाधिकरियों के प्रशिक्षण के लिए स १९५१--५२ और १९५२--५३ में कितनी राशि दी गई ।

(ख) उक्त वर्गों में कुल कितने पदाधिकारी प्रशिक्षित किए गए ?

(ग) हमारी सेना के पदाधिकारियों के उच्चतर प्रशिक्षण के लिए इंग्लैन्ड के युद्ध कार्यालय को कितनी राशि दी गई और १९५१--५२ तथा १९५२--५३ में कितने ऐसे पदाधिकारी प्रशिक्षित किए गए ?

रक्षा संगठन मन्त्री (श्री त्यागी) : (क) विभिन्न कार्यों में रायल नेवी को पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ये राशियां दी गई :

१९५१--५२	३,९८,००० रु०
१९५२--५३	६,७३,००० रु०

(ख) प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाने वाले पदाधिकारी:--

	१९५१--५२	१९५२--५३
(१) इंजीनियरिंग शाखा	२७	३६
(२) अन्य शाखाऐं	१०४	१०७

विशेषज्ञ शिक्षा पाने वाले पदाधिकारी

	१९५१--५२	१९५२--५३
(१) इंजीनियरिंग शाखा	२	४
(२) अन्य शाखाऐं	२२	२१

(ग) युद्ध कार्यालय को दी गई फीस--

१९५१--५२	१५८,००० पौंड
१९५२--५३	९,८७४ पौंड

इंग्लैड में प्रशिक्षण क लिए भेजे गए सैना पदाधिकारी :

अप्रैल १९५१ से मार्च १९५२ तक	३२
अप्रैल १९५२ से मार्च १९५३ तक	३७

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस संम्बध में इंग्लैड से कोई दीर्घ कालीन समझौता है ?

श्री त्यागी : इन मामलों में कोई समझौता नहीं होता । मैं यह स्वीकार करुंगा कि इंग्लैन्ड उन विषयों में प्रशिक्षण देकर जिनमें कि यहां प्रशिक्षा उपलब्ध नहीं हैं, हम पर आभार कर रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मै जान सकती कि यह सत्य है कि रायल नेवी के दो जहाज भारतीय

नौसेना को उसे अपने कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए दिए गए हैं और क्या ये जाहज़ वापस दिए जायेंगे ?

श्री त्यागी : श्रीमान, प्रश्न का सम्बन्ध पदाधिकारियों के प्रशिक्षण से है । मेरी माननीया मित्र ने शायद प्रश्न नहीं समझा जो कि प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले पदाधिकारियों के सम्बन्ध में था। यह जहाज़ों के सम्बन्ध में नहीं था।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भारतीय पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंन्ड की रायल नेवी ने दो जहाज़ प्रस्तुत किए हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह बात विदित है।

श्री त्यागी : वें यहां भारत में नौसेना पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि इंग्लैंड में हमारे प्रधान प्रदेष्टा ने वहां से ये दो जहाज़ प्राप्त किये ?

श्री त्यागी : जी हां ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को पनडुब्बी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री त्यागी : मेरी कठिनाई यह है । भारत उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब वह एक पनडुब्बी सेना तैयार कर सकेगा और स्वाभावतः ही जब इस प्रकार की सम्भावनाए होंगी और हमारे पास काफी सामान होगा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझ नहीं मालूम कि पनडुब्बी प्रशिक्षण से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है। पनडुब्बियों का प्रशिक्षण अथवा उनके विरुद्ध प्रशिक्षण ?

एक माननीय सदस्य : दोनों ।

श्री जयपाल सिंह : भारतीय नौसेना में एक पनडुब्बी पार्श्व विकसित करने के लिए प्रशिक्षण ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे पास पनडुब्बीया नहीं हैं और न हमारा कोई का इस समय विचार है । किन्तु हम अपने लोगों को पनडुब्बियों के विरुद्ध अवश्य ही प्रशिक्षण देना चाहते हैं और कुछ सीमा तक देते भी हैं।

श्री के० सी० सोधिया : दी जाने वाली राशि का आगणन किस आधार पर किया जाता है ?

श्री त्यागी : वास्तव में दी गई राशि के आधार पर ।

श्री के० सी० सोधिया : किसके द्वारा दी गई राशि के आधार पर ?

श्री त्यागी : भारत द्वारा ।

श्री सोधिया : वास्तव में किसके द्वारा होगा ?

श्री त्यागी : हमारे प्रधान प्रदेष्टा द्वारा

विक्रमशिला विश्वविद्यालय

* **१९२८. श्रीमती सुषमा सैन** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचीन तथा प्रसिद्ध स्थान को सफेद मिट्टी की प्राप्ति के लिए नष्टभ्रष्ट किया जा रहा है ?

(ख) इस प्राचीन महत्वपूर्ण स्मारक को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थान पर सफेद मिट्टी प्राप्त करने के लिए कोई खुदाई नहीं की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि वहां बर्तन बनाने का एक कारखाना है जो कि कई वर्षों से सफेद मिट्टी के लिए खुदाई कर रहा है तथा इस के परिणामस्वरूप बहुत से झगड़े उत्पन्न हुए हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य स्थान पर सफेद मिट्टी के लिये खुदाई नहीं हो रही है, किन्तु इस के समीप पत्थरघाट पहाड़ियों की बंगाल पाटरीज़ कम्पनी द्वारा सफेद मिट्टी के लिए खुदाई की जाती है। इस पर्वत पर, उस स्थान पर नहीं जहां से कि मिट्टी ली जाती है, ऐतिहासिक महत्व की कुछ गुफायें हैं तथा इन्हें उस विधेयक में राष्ट्रीय महत्व के स्थान घोषित किये जाने का विचार है जो कि सदन के समक्ष है।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूछ गछ करायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : हम ने पूछ गछ कराई है तथा यदि माननीय सदस्या चाहती हैं तो हम और अधिक पूछ गछ करायेंगे।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि जो पोटरी वाले मिट्टी लेते हैं, उस से यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान होगा या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : उस जगह से कोई नुकसान नहीं होगा। उस के पास जगह जरूर है, लेकिन जो युनिवर्सिटी की पुरानी साइट है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा।

योग व्यायाम पद्धति

*१९२९. **बाबू रामनारायण सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) योग व्यायाम पद्धति (पंचवर्षीय योजना पृष्ठ २०२, खंड २ तथा ४ के अनुसार) को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि की जा रही है, तो क्या ;

(ग) स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचारकार्य में जो स्वंय सेवक संस्थायें जैसे कि (१) योगाश्रम, नई दिल्ली, (२) योगाभ्यास केन्द्र, बटाला आदि संलग्न हैं, क्या उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है ; तथा

(घ) यदि किया गया है, तो किस तरह से तथा किस हद तक ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) (१) "योग" में अनुसन्धान करने के लिए अनुदान दिये गये हैं।

(२) शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक उप-समिति स्कूलों तथा कालिजों में शारीरिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था पर विचार करने के लिए तथा इन में सुधार करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक तथा तत्कालिक सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई है।

(ग) तथा (घ) : जी नहीं, श्रीमान्।

बाबू रामनारायण सिंह : इसके बारे में अब तक कितने रुपये खर्च किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सम्बन्ध में सरकार ने जो सन् ५०, ५१ और ५२ में लोनावाला आश्रम को सहायता दी है वह इस प्रकार है :

सन् ५० में बीस हजार सन् ५१ में सात हजार और सन् ५२ में दस हजार और सन् ५२ में एन० आर० एस० आर० ने पांच हज़ार की सहायता दी है।

बाबू रामनारायण सिंह : योग आश्रम से स्वास्थ्य सम्बन्धी कितना लाभ होता है इसके बारे में सरकार ने क्या पूरा पूरा पता लगा लिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, मैंने तो कहा कि इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है कि कोई शिक्षा क्रम बताया जाय और जैसे ही उस पर विचार समाप्त हो जायगा उस पर कार्यवाही की जायगी ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन विश्वविद्यालयों को कोई सहायता देगी जोकि यो-व्यायाम पद्धति में अनुसन्धान करने के लिए अपने यहां विषेश विभाग खोलेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार के विचाराधीन इस सम्बन्ध में कोई प्रस्थापनायें हैं तथा वह इस प्रस्थापना पर भी विचार करेगी ।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस पद्धति को केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से पुनर्जीवित किया जा रहा है अथवा अध्यात्मिक दृष्टि कोण से भी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): स्वास्थ्य की दृष्टि से ।

श्री के० डी० मालवीय : इस समय तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ही तो ऐसा किया जा रहा है ।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न कभी हमारे प्रधान मंत्री के सामने उपस्थित किया गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री उसका अभ्यास करते हैं और उन्हों ने इससे बहुत लाभ उठाया है ।

श्री के० डी० मालवीय : प्रधान मंत्री के सामने यह प्रश्न नहीं आया ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जब पंजाब अनडिवाइडेड था तो पंजाब एजूकेशन बोर्ड ने इस योगिक सिस्टम को रेक्गनाइज कर लिया था और पंजाब के कालिजों में इसको रायज करने के लिये उनके सामन कोई तजवीज थी और उस पर अमल हुआ ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, पंजाब के कुछ ईस्टीट्यूशन में यह शिक्षाक्रम के तौर पर चालू है यह सरकार को मालूम है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान

*१९३०. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संधारण व्यय के लिए जो वार्षिक अनुदान दिये जाते हैं वह किस आधार पर दिये जाते हैं; तथा

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों को विस्तारित करने के लिए किन मुख्य सिद्धातों के आधार पर धन आवंटित किया जाता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३५]

श्री झूलन सिन्हा : विवरण के भाग (क) में दी गई सूचना के निर्देश में मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पिंड-राशियों के रूप में जो अनुदान दिये जाते हैं क्या वह पूर्व वर्ष के वास्तविक व्यय पर आधारित होते हैं अथवा अन्य किसी आधार पर आधारित होते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय तक तो वास्तविक व्यय ही इस का आधार

रहा है। विवरण में इस का उल्लेख किया गया है। यदि इस बात का पता लग जाये कि कुछ घाटा रहा है तो हम और अधिक अनुदान देकर इस घाटे को पूरा करते हैं।

श्री झूलन सिन्हा: विवरण के भाग(ख) में दी गई सूचना के निर्देश में मैं जानना चाहता हूं कि परियोजनाओं के लिए जो अनुदान दिये जाते हैं क्या वह किसी परियोजना के अन्तर्गत सारे व्यय को पूरा करने के लिए होते हैं अथवा क्या विश्वविद्यालयों को शेष धन के लिए स्वयं व्यवस्था करने को कहा जाता है।

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के विस्तार का सम्बन्ध है, हम उन्हें अंशदायी आधार पर भी सहायता देते हैं।

बिहार में अनुदान पाने वाले गैर-सरकारी हायर सैकंड्री स्कूल

*१९३१. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार में किस किस गैर-सरकारी हायर सैकंड्री स्कूल को उस निधि में से प्रत्यक्ष अनुदान प्रति हुआ है जोकि वर्ष १९५२-५३ के लिए इस उद्देश्य के लिए निश्चित की गई थी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : १९५२-५३ में बिहार के किसी भी गैर-सरकारी हायर सैकंड्री स्कूल को कोई प्रत्यक्ष अनुदान नहीं दिया गया।

श्री झूलन सिन्हा : क्या इस उद्देश्य के लिए निश्चित धनराशि में गैर-सरकारी कालिजों के अनुदानों का भी उपबन्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रश्न सुना नहीं जाता है। शायद वह ७९,२०० रुपये के अनुदान की ओर निर्देश कर रहे हैं जो कि चुने हुये सैंकड़ी स्कूलों के विकास के लिए परियोजना ४ क के अंतर्गत मंजूर किया गया है। हमें मालूम नहीं कि क्या वह स्कूल सरकारी है अथवा गैर-सरकारी।

श्री झूलन सिन्हा : शिक्षा के लिए बजट में जो धन राशि रखी गई है, क्या उस में से अनुदान प्राप्ति के लिए राजेन्द्र कालिज, चंडा ने भी प्रार्थना की है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस विशेष प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्व सूचना चाहिये।

शिक्षा मंत्रियों तथा उप-कुलपतियों का सम्मेलन

*१९३२. **श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १८ तथा १९ अप्रैल १९५३ को हुये शिक्षा मंत्रियों तथा उप-कुलपतियों के सम्मेलन में क्या सिफारिशें, यदि कोई हों, की गई हैं ?

(ख) इस सम्मेलन में जो विचार प्रकट किये गए हैं उनको दृष्टि में रखते हुये सरकार की प्रस्थापनाएं क्या हैं ?

(ग) प्रस्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रचना तथा कृत्य क्या होंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारत सरकार ने प्रारम्भ में दो अलग अलग अभिकरण स्थापित करने की प्रस्थापना की थी। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद तथा दूसरा विश्व-

विद्यालय अनुदान आयोग। सम्मेलन ने सुझाव दिया है कि इन दो अभिकरणों के स्थान पर एक ही अभिकरण अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित किया जायें तथा इस के वही कृत्य हों तथा वही अधिकार हो जो कि प्रारूप विधेयक के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद को प्राप्त होने थे। सम्मेलन ने विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में छात्रों के लिए शारीरिक श्रम का उपबन्ध रखने पर भी विचार किया तथा अपने कुछ सविस्तार सुझाव दिये। इस ने इस बात की भी सिफारिश की कि इस समय जो काम हो रहा है उस का पर्यालोकन किया जाये तथा उन सुझावों पर ध्यान दिया जाये जो कि विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी प्राधिकारी भविष्य में दिया करेंगे।

(ख) तथा (ग). इस मामले पर विचार हो रहा है।

श्री ए० एम० टामस : संसद के गत सत्र में मैं ने प्रश्न पूछा था कि विश्वविद्यालयों के निकायों के विरोध को दृष्टि में रखते हुये क्या विश्वविद्यालय शिक्षा पर नियंत्रण रखने से सम्बन्धित विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार छोड दिया गया है। इसका उत्तर माननीय मंत्री मौलाना आज़ाद ने 'नहीं' में दिया। अब फिर सुनाई देता है कि सरकार ने जिस रूप में विधेयक तैयार किया था, उसे भी छोड़ा गया है। क्या यह समाचार सही है तथा मैं वर्तमान स्थिति जानना चाहता हूं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): अगर कांफ्रेंस की तजवीज़ गवर्नमेण्ट ने मंजूर कर ली तो इस सूरत में सिर्फ इतनी तबदीली होगी कि जो बिल वह पहले यूनिवर्सिटी एज्युकेशन बोर्ड के नाम से पेश करना चाहती थी अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के नाम से पेश करेगी।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं यह समझ लूंगा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद नियुक्त करने की प्रस्थापना अब अन्तिम रूप से छोड़ दी गई है तथा अब यह निश्चय किया गया है कि ब्रिटेन के मांडल पर बनी एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति ही इस काम को पूरा करेगी ?

मौलाना आज़ाद : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तजवीज़ पहले से गवर्नमेंट के सामने थी। अब कांफ्रेंस ने यह तजवीज़ मंजूर की है कि प्रोपोज़्ड एज्युकेशन बोर्ड का फंकशन भी इसी के हवाले किया जाये और जो पावर बोर्ड के लिए करार दिया गया था वह इसे हासिल हो।

श्री ए० एम० टामस : इस सम्बन्ध में संसद् में एक व्यापक विधान प्रस्तुत किये जाने की कब आशा है ?

मौलाना आज़ाद : कोशिश की जा रही है कि जल्दी किया जाये।

श्री मेघनाद साहा : विश्वविद्यालय आयोग, जिसकी अध्यक्षता डा० राधाकृष्णन ने की थी, ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति के लिए कुछ विशेष प्रस्थापनाएं निर्धारित की हैं। क्या प्रस्थापित विधेयक उन्हीं लाइनों पर होगा ?

मौलाना आज़ाद : हां, गवर्नमेंट करीब करीब वैसा ही कमीशन बनाना चाहती है जैसे कि यूनिवर्सिटी इन्क्वायरी कमीशन ने सिफारिश की है।

श्री मेघनाद साहा : राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संघ लोक सेवा आयोग की तरह एक स्वायत्त शासी निकाय होना चाहिये। क्या यह स्वायत्त शासी निकाय होगा अथवा मंत्रीलय के अधीन होगा ?

मौलाना आज़ाद : गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है।

श्री वैलायुधन : क्या उप-कुलपतियों के सम्मेलन में इस बात पर मतैक्य था कि इन विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण कुछ ढीला होना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह महसूस किया जा रहा था कि विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण ढीला होना चाहिये ?

मौलाना आज़ाद : नहीं। कांफ्रेंस की तो वही तजवीज़ थी जो अभी पढ़ कर सुनाई गई।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि दो आयोग नियुक्त करने का विचार क्यों छोड़ा गया तथा क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह नई प्रस्थापना विश्वविद्यालयों के लिए कैसे लाभप्रद होगी ?

मौलाना आज़ाद : गवर्नमेंट इस पर अभी गौर कर रही है। कांफ्रेंस ने जो तजवीज़ पेश की है वह यह है कि अलग अलग दो बाडियां न बनाई जायें। एक ही बनाई जाये और वह दोनों का काम करे। बज़ाहिर इस में कोई बुराई की बात नहीं कि दो की जगह एक ही बाडी हो।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि उप-कुलपतियों के सम्मेलन में शारीरिक श्रम के सम्बन्ध में जो संकल्प पास किया गया था क्या वह एक आज्ञा के रूप में होगा अथवा सिफारिश के रूप में ?

श्री के० डी० मालवीय : यह आज्ञा के रूप में नहीं होगा और न ही इसे केवल इच्छा मात्रा समझा जायगा। हम अधिकाधिक प्रयत्न कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण निश्चय को यथासम्भव शीघ्र क्रियान्वित किया जाये।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को मालूम है कि दिसम्बर १९५२ में हुये अखिल-भारत शिक्षा सम्मेलन ने एक संकल्प पास किया था कि भारत में प्रत्येक छात्र संस्था के लिए समाज-सेवा एक अनिवार्य चीज़ होनी चाहिये। क्या सरकार उस संकल्प को कार्यरूप दे देगी ?

मौलाना आज़ाद : हम इस पर गौर कर रहे हैं। इस वक्त मुश्किल है कि इस का क़तई कोई जवाब दिया जाये।

श्री मात्तन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रस्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ब्रिटेन के अनुदान आयोग के माडल पर होगा ?

मौलाना आज़ाद : गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ।

त्रिपुरा का राजनगर हुर

*१९३३ **श्री दशरथ देव** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के "राजनगर हुर" में खेती की जा सकती है,

(ख) क्या इसमें ८०० एकड़ भूमि ऐसी निकलेगी जिस पर धान की खेती की जा सकती हो;

(ग) क्या स्थानीय किसानों नें उस क्षेत्र के डिवीज़नल अधिकारी को मिलनें के लिए एक शिष्टमण्डल भेजा है; और

(घ) क्या सरकार का इन किसानों को सहायता देने का विचार है?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (घ) यह सूचना इकट्ठी की जा रही ह और उस के बाद सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एस० सी० देव: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस से पहले जनता के प्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव किए थे, उन्हें खाद्य मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया था?

डा० काटजू: मुझे मालूम नहीं । इस के लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

विशेषज्ञ समिति (उस्मानिया विश्वविद्यालय)

*१९३४. **डा० सूरेशचन्द्र**: क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने, उस्मानिया विश्वविद्यालय का प्रबन्ध केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की जो समिति बनाई थी, अब तक उस की एक बैठक भी नहीं हुई है, और

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी, हां ।

(ख) मेरे विचार में समिति की बैठक शीघ्र ही होगी ।

डा० सुरेश चन्द्र: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने उस्मानिया विश्वविद्यालय का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार छोड़ दिया है ?

डा० काटजू: नहीं, नहीं ।

श्री कृष्णमाचार्य जोशी: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि समिति को यह काम सौंपते समय उस से कहा गया था कि इतने समय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ?

डा० काटजू: मेरा विचार है, नहीं । यदि समिति ने अधिक देर लगाई तो हमें कोई समय निश्चित करना पडेगा ।

श्री एच० जी० वैष्णव: यदि इस विश्वविद्यालय का प्रबन्ध केन्द्र ने सम्भाल लिया तो इस में शिक्षा का माध्यम क्या होगा ?

डा० काटजू: श्रीमान मुख्य प्रश्न को देखिए और ज़रा अनुपूरक प्रश्न की ओर भी ध्यान दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय: विश्वविद्यालय का प्रबन्ध सम्भालना ? विश्वविद्यालय का प्रबन्ध सम्भालने के बाद व्यौरा कैसे निश्चित किया जायागा, यह एक अलग मामला है ।

डा० सुरेश चन्द्र: माननीय मंत्री ने कहा है कि समिति की बैठक शीघ्र ही होगी परन्तु उन्होंने कारण नहीं बताया । उन्होंने समिति की बैठक अब तक न होने के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया है ।

डा० काटजू: कई बार यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि अमुक बात के क्या कारण हैं । हैदराबाद के विधान मण्डल की बैठक भी एक कारण हो सकती है परन्तु मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि अन्य लोगों के लिए क्या कारण थे ।

श्री आर० एन० रेड्डी: क्या सरकार को मालूम है कि स्वयं हैदराबाद राज्य में इस कार्यवाही के विरुद्ध भावना फैली हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : समिति की नियुक्ति के विरुद्ध ही ?

डा० काटजू : यह तो अपनी अपनी राय की बात है ।

श्री मातेन : इस प्रस्ताव के प्रति हैदराबाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० काटजू : उन की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है ।

श्री आर० एन० रेड्डी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि राज्य में जनता की संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है ?

डा० काटजू : मुझे याद नहीं, इस के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि उस्मानिया विश्वविद्यालय ने अपना प्रबन्ध केन्द्र के हाथ में जाने का विरोध नहीं किया ?

डा० काटजू : ये सब पुरानी बातें हैं । जब समिति बनाई गई थी तो कई प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

डा० सुरेश चन्द्र : ये पुरानी बातें नहीं हैं क्योंकि उस्मानिया विश्वविद्यालय तथा सरकार को अभ्यावेदन भेजे गए हैं और मेरा विचार है कि मंत्रालय उन के उत्तरों की प्रतीक्षा में हैं ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : अगर आनरेबल मेम्बर का यह ख्याल है कि अभी हाल में कोई इस तरह का रिप्रेजेन्टेशन गवर्नमेन्ट को मिला था तो मैं यह कह सकता हूं कि नहीं मिला है ।

नगरों का श्रेणी उन्नयन

*१९३५. **श्री पुन्नूस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में कुछ नगरों की श्रेणी बढ़ा कर उन्हें 'सी' श्रेणी में रखने के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेश में, वेल्लोर, तंजोर, रांची, राजामंड्री, कटक, जामनगर और भोपाल—जिन की जनसंख्या १९५१ के आंकड़ों के अनुसार १ लाख से अधिक है—का नाम नहीं आया है;

(ख) यदि हां, तो 'सी' श्रेणी के नगरों की सूची में इन नगरों के नाम क्यों नहीं रखे गए;

(ग) क्या शाहजहांपुर को 'सी' श्रेणी में रखा गया है जब कि उस की जनसंख्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कुछ नगरों की जनसंख्या से कम है; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने वेतन आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि एक लाख या उस से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाय ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) श्रेणी 'ग' नगरों की सूची में केवल उन्हीं नम्बरों को रखा गया है जिन की जनसंख्या १९५१ के आंकड़ों के अनुसार १ लाख से काफी अधिक है । क्योंकि ये नगर इस कसौटी पर पूरे नहीं उतरते थे, इसलिए उन्हें इस सूची में नहीं रखा गया ।

(ग) जी हां, इस का नाम १९४७ में उस समय इस सूची में लिखा गया जब कि पूरक (नगर) सत्ता तथा मकान किराया भत्ता देने के सम्बन्ध में मूल आदेश जारी किया गया था ।

(घ) जी. नहीं । जनसंख्या वाले आधार के अनुसार पूरी तरह नहीं चला गया परन्तु १९४७ में इन भत्तों की स्वी-

कृति देते समय उस का ध्यान रखा गया था ।

श्री पुन्नूस: क्या यह सच नहीं है कि वेतन आयोग की सिफारिश यह थी कि एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में से भत्ते दिए जायं ।

श्री एम० सी० शाह: मैं पहले ही कह चुका हूं कि जनसंख्या के आंकड़ों का मोटे तौर पर ध्यान रखा गया था । परन्तु इन्हें बारीकी के साथ, कसौटी मान कर कार्य नही किया गया ।

श्री पुन्नूस: माननीय मंत्री ने कहा "एक लाख से काफ़ी अधिक" । क्या वे इसे अधिक स्पष्ट नहीं कर सकते ?

श्री एम० सी० शाह: अन्तर्विभागीय समिति ने निर्णय किया था कि १ लाख से ११५ प्रतिशत अधिक हो तो उसे पर्याप्त समझा जाय ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ये भत्ते निश्चित करते समय केवल जनसंख्या का ही ध्यान रखा जाता है या कि विशेष नगरों में जीवन यापन व्यय का भी ध्यान रखा जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : मकान-किराया भत्ते तथा पूरक भत्ते में, जनसंख्या को ही आधार माना गया है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए रेल टिकटों में रियायत

*१९३७. **श्री पुन्नूस** : क्या गृह-कार्य मंत्री १८ मार्च, १९५३ को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए रेल टिकटों में रियायत के सम्बन्ध नें पूछे गए तारांकित प्रश्न क्रमांक ८६४ को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंग कि क्या उस समय के बाद से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ।

आसाम में बवंडर

*१९३८ **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २१ और २२ अप्रैल १९५३ की रात को आसाम में जो गहरा बवंडर आया था तथा जिस में रेल गाड़ियों का चलना तक रुक गया था, उस बवंडर में जन तथा धन की कितनी हानि हुई ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : २१ तथा २२ अप्रेल १९५३ की रात को आसाम में बड़े जोर का बवंडर आने या उस के फलस्वरूप जन तथा धन की हानि होने का कोई समाचार नहीं मिला है ।

श्री रघुनाथ सिंह : ट्रेन का आना जाना कितने समय तक रुका रहा ?

श्री दातार : मुझे मालूम नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस साइक्लोन की वजह से ट्रेन का आना जाना कितने समय तक रुका रहा ?

श्री दातार : पहली बात तो यह है कि हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि बवंडर आया था, फिर गाड़ियों का आना जाना रुक जाने के सम्बन्ध में मैं किसी प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूं ।

दिल्ली पोलिटेक्निल कालिज

*१९३९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पोलिटेक्निक कालिज, कश्मीरी गेट, दिल्ली का प्रबन्ध पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और वही उसे चलाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर पिछले दो वर्ष में कितना खर्च हुआ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) सामान खरीदन तथा भवन बनान पर हुए खर्च सहित २७,५१,००५ रुपये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि क्या यह सच है कि इस कालिज के फाइनल के छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और वे परीक्षा भवन से बाहर निकल आए ; यदि हां तो क्या मैं इस के कारण पूछ सकती हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस का पता नहीं है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस कालिज के छात्रों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

श्री के० डी० मालवीय : कुल संख्या १०४३ हैं। मुझे खेद है कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकता कि किस राज्य के कितने छात्र हैं।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि विभिन्न राज्यों के छात्रों को, जो यहां पढ़ने आते हैं, राज्यों की सरकारें चुनती हैं या यहीं उन को चुना जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। माननीय मंत्री के पास सूचना नहीं है। अगला प्रश्न।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक न्यास

*१९४०. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक न्यास की स्थापना करने का विचार है जैसा कि शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की योजना में कहा गया था ;

(ख) वे कौनसी सांस्कृतिक कार्यवाहियां हैं जिन को आगे बढ़ाने के लिए १९५३-५४ के आय-व्ययक में १३·७० लाख रुपया रखा गया है; और

(ग) क्या ये अनुदान सीधे ही दे दिए जाते हैं या राज्य सरकारों की मार्फ़त दिए जाते हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिस में इस सांस्कृतिक कार्यवाहियों का ब्यौरा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध क्रमांक ३६]**

(ग) अब तक तो सरकार स्वयं ही अनुदान देती रही है और जहां आवश्यकता पड़ी है उस ने राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं से सलाह ली है। परन्तु आगे चल कर सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए अनुदान मुख्यतः सम्बद्ध अकादमियों के परामर्श पर दिए जायंगे।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं पूछ सकता हूं कि किन किन सिद्धान्तों के आधार पर ये अनुदान दिए जायंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : किसी विशेष सिद्धान्त का निर्णय नहीं किया गया। परन्तु हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि विभिन संस्थाओं की कार्यवाहियां कैसी हैं और उन कार्यवाहियों को

ध्यान में रखते हुए हम उन संस्थाओं को सहायता देने की चेष्टा करते हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: वे कौन सी सांस्कृतिक अकादमियां हैं जिन से आप ये अनुदान देने में परामर्श करने का विचार रखते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नृत्य, नाटक, संगीत तथा ज्ञान व कला की अकादमियां।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस सम्बन्ध में दक्षिण भारत की किसी संस्था को अनुदान मिला है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे खेद है कि इस दृष्टिकोण से बनाई गई कोई सूची मेरे पास नहीं हैं परन्तु दक्षिण भारत की संस्थाओं को अनुदान दिए गए हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं इस का मतलब यह समझूं कि अनुदान केवल उपरोक्त चार विषयों जिन को अकादमियों के नामों का उल्लेख किया गया है, के लिए ही दिए जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, नहीं। इन अकादमियों के विषयों के सम्बन्ध में संस्थाओं की कोई परिसीमा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे दो प्रश्न दूसरों के नाम कर दिए हैं। मैं दूसरी बार नाम लूंगा। श्री हुक्म सिंह, उपस्थित नहीं। श्री चाको।

अखिल भारतीय अधिवक्तृ-समिति

*१९१६. **श्री पी० टी० चाको :** (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, १९५१ में बनाई गई अखिल भारतीय अधिवक्तृ समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार के पास भेज दिया है ?

(ख) यदि हां, तो निम्न विषयों में इसकी सिफारिशें क्या हैं :

(१) पूरे भारत के लिए पूर्णतः एकीकृत अधिवक्तृ-परिषद्, तथा

(२) उच्चतम न्यायालय में ऐजें और अधिवक्ताओं की द्वैध प्रणाली;

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या पग उठाये हैं ?

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) हां।

(ख) अखिल भारतीय अधिवक्तृ-समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये **संख्या ४ (ए), (८९ ए)**]

(ग) सरकार को सिपारिशों के ऊपर अपना निर्णय करने से पहले प्रतिवेदन पर ध्यान पूर्वक विचार करना होगा और राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों तथा अन्य सम्बन्धित स्वार्थों से परामर्श करना होगा इस सब में समय लगेगा।

श्री पी० टी० चाको : वकालती पेशे वाली विविध श्रेणियों को मान्यता देने के सम्बन्ध में आजकल विभिन्न उच्च न्यायालयों में क्या प्रक्रिया चल रही है ? एजेंटों, छोटे वकीलों और अधिवक्ताओं के विषय में क्या कोई एकरूप प्रक्रिया विद्यमान है ?

श्री बिस्वास : मैं माननीय सदस्य को प्रतिवेदन का निर्देश करूंगा, जो इन सारे विषयों को लेती है।

श्री पी० टी० चाको : मैं वर्तमान व्यवहार की बात पूछ रहा हूं।

श्री बिस्वास : वह भी प्रतिवेदन में सविवरण बतलाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा प्रश्न-काल प्रतिवेदन के विवरणों में बरबाद नहीं किया जा सकता ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सच है कि अ० भा० अधिवक्तृ-समिति ने उच्चतम न्यायालय की द्वैध प्रणाली को समाप्त करने और कलकत्ता तथा बंबई के उच्च न्यायालयों में न्यायवादियों को बनाये रखने की सिफारिश की है ?

श्री बिस्वास : इसने कलकत्ता और बंबई के उच्च न्यायालयों में द्वैध प्रणाली बनाये रखने और उच्चतम न्यायालय में एजेंसी प्रणाली की समाप्ति की सिफारिश की है ।

श्री के० के० बसु : क्या मंत्री जी को विदित है कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं को कलकत्ता तथा बंबई के उच्चन्यायालयों में प्रैक्टिस आदि करने का अधिकार देने वाले उच्चतम-न्यायालय के हाल के निर्णय के फलस्वरूप द्वैध-प्रणाली व्यर्थ हो गई है ?

श्री बिस्वास : समिति ने सिफारिश की है कि उस अधिनियम को निरसित या संशोधित कर दिया जाए ।

श्री पी० टी० चाको : सरकार इस प्रश्न का निर्णय करने में कितना समय लेगी ?

श्री बिस्वास : मैं तत्काल कुछ नहीं कह सकता । प्रतिवेदन अभी अभी छपा है । यह सभी संगठनों और न्यायालयों को भेजा जाएगा और उनके विचार प्राप्त होने पर इन पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाएगा ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन दो उच्च न्यायालयों में द्वैध प्रणाली बनी रहने देने के सम्बन्ध में अ० भा० अधिवक्त समिति की सिफारिश पर स्वयं कुछ सोचा है ।

श्री बिस्वास : सरकार ने अब तक एक ही प्रश्न का निर्णय किया है कि समिति की सिफारिशों पर विचार होने से पहले सरकार उच्चतम न्यायालय के ताजे निर्णय को व्यर्थ कर देने वाला कोई अन्तःकालीन विधान पारित न करे ।

विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए हैदराबाद को धन का आवंटन

*१९१९. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के प्रयोजन से हैदराबाद के लिए मंजूर किए गए ५०,००० रुपये के आवंटन को केंद्र द्वारा वापस ले लिया गया है ;

(ख) यदि सच है, तो इसे वापस लेने का क्या कारण है ; तथा

(ग) हैदराबाद में बसने वाले विस्थापित व्यक्यिों की कुल संख्या कितनी है और १९५०,१९५१ और १९५२ वर्षों में उनकी सहायता के प्रयोजन से आवंटित राशि कितनी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां ।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार उन विस्थापित व्यक्तियों को ऋण दिए जाते हैं, जो व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के बाद नई बस्तियों में अपना उद्योग या कारबार स्थापित करना चाहते हैं ।

(ग) (१) हैदराबाद में बसने वाले विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या···५००.

(२) १९५०, १९५१-५२ और १९५२-५३ वर्षों में आवंटित कुल राशि····· २,०१,००० रुपए।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या राज्य में कुछ ऐसे विस्थापित व्यक्ति है, जिनको अपना कारबार चलाने के लिए कोई ऋण नहीं मिला है ?

श्री जे० के० भोंसले : ऋण कुछ विहित नियमों के अनुसार ही दिए जाते है, और चूंकि वे इन नियमों का पालन नहीं करते अर्थात व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी नई बस्ती में नहीं बस रहे है, उनको ऋण नहीं मिल सके।

श्रीएच० जी० वैष्णव : क्या इन विस्थापित व्यक्तियों में कुछ ऐसे हैदराबाद-राज्य निवासी भी हैं, जो रजाकारों के अत्याचारों का शिकार बने थे ?

श्री जे० के० भोंसले : प्रश्न केवल विस्थापित व्यक्तियों से ही सम्बन्धित है ; रजाकारों के उपद्रवों से नहीं।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या हैदराबाद राज्य के लिए आवंटित धन के अतिरिक्त हैदराबाद स्थित शरणार्थियों को लाइक अली फार्म भी बांट देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री जे० के० भोंसले : हां श्रीमान्।

डा० सुरेश चन्द्र : यदि ऐसा प्रस्ताव है, तो क्या यह सच है कि इस फार्म को बांटने के सम्बन्ध में पंजाबी शरणार्थियों के के प्रति कुछ भद-भाव रखा जा रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : श्रीमान्, मैं ऐसा नहीं सोचता।

सलेम में राष्ट्रीय छात्र सेना का कनिष्ठ डिवीजन

*१९२१. **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (की ओर से **श्री सी० आर० नरसिंहन्:** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सलेम में राष्ट्रीय छात्र सेना का एक कनिष्ठ डिवीजन स्थित है ?

(ख) क्या सलेम कालेज में छात्र सेना का एक ज्येष्ठ डिवीजन बनाने का विचार है जिससे कनिष्ठ क्षात्र सेना में दिया गया प्रशिक्षण चालू रह सके ?

(ग) क्या यह सच है कि सरकार के पास छात्र सेना के कनिष्ठ डिवीजन वाले प्रत्येक स्थान में एक ज्येष्ठ डिवीजन खोलने की एक योजना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां।

(ख) तथा (ग)। नहीं श्रीमान्।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : पर रुकावट क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुख्य कठिनाई राज्य-सरकार की कठिन वित्तीय-स्थिति है जिसे राष्ट्रीय छात्र सेना का अधिकांश व्यय झेलना पड़ता है। इसका उपाय मद्रास में है।

श्री के० जी० देशमुख : राज्य सरकार द्वारा सहा जाने वाला अंश कितना है ?

श्री सतीश चन्द्र : सैन्य-शिक्षक, अस्त्र और सामग्री केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रीय छात्र-सेना के अन्य सारे व्यय—इसका संस्थापन, धारण पोषण, शिविर व्यय, पोशाक आदि—राज्य सरकार को करने पड़ते हैं। इस समय मैं राज्यवार ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं बता सकता, पर अधिकांश भाग राज्य सरकार को झेलना होता है।

श्री एन० एम० लिंगम् : बाद में ज्येष्ठ डिवीजन की व्यवस्था न होने पर क्या कनिष्ठ छात्र सेना पर किया गया श्रम और व्यय प्रत्येक दशा में व्यर्थ न जाएगा ?

श्री सतीश चन्द्र : वह बिल्कुल ठीक है, और हम चाहेंगे कि छात्र सेना के कनिष्ठ डिवीजन वाले प्रत्येक स्थल पर यथासंभव ज्येष्ठ डिवीजन स्थापित किए जाएं, पर जैसा मैंने कहा, एतदर्थ अधिक धन मंजूर करवाने के लिए माननीय सदस्य अपनी राज्य-सरकार को ही समझाएं।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अथवा यों कहें कि अपने पिता को ।

राष्ट्रीय छात्रसेना के कनिष्ठ तथा ज्येष्ठ डिवीजन

*१९२२. **श्री एस० वी० रामास्वामी** की ओर से (**श्री सी० आर० नरसिंहन्**) : (क) क्या **रक्षा** मंत्री राष्ट्रीय छात्र सेना के कनिष्ठ तथा ज्येष्ठ डिवीजनों के छात्र सैनिकों की विद्यमान संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इन डिवीजनों की छात्र-सैनिक-संख्या बढ़ाना चाहती हैं ?

(ग) आजकल (१) कनिष्ठ राष्ट्रीय छात्र सेना और (२) ज्येष्ठ राष्ट्रीय छात्र सेना में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ग)। कनिष्ठ डिवीजन की संख्या आजकल लगभग ५१,८०० छात्रसैनिक और १६०० अफसर हैं और ज्येष्ठ डिवीजन में लगभग २५,५०० छात्रसैनिक और ८०० अफसर हैं ।

(ख) हां, निधि उपलब्ध रहने पर ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां ?

श्री सतीश चन्द्र : लड़कियों की संख्या ५०० से कम है, शेष सब लड़के हैं ।

कई माननीय सदस्य : हम सुन नहीं पा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण शांत रहें ।

श्री पुन्नूस : आप दूसरी ओर वालों से भी कहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी ओर वालों से कह रहा हूं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : उनको आपकी ओर देखना चहिए। वह प्रश्नकर्त्ता की ओर देख रहे हैं ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, माननीय मंत्री आपकी ओर न देख कर प्रश्नकर्ता की ओर देख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य केवल मेरी ही ओर देखें ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि इस प्रश्न के बड़े महत्वपूर्ण होने की दृष्टि में क्या भारत सरकार उन राज्यों को आर्थिक-सहायता देने पर विचार करेगी, जो धन न होने से इसे बढ़ा नहीं पाते ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कृपया मेरी ओर देखें ।

डा० एन० बी० खरे : आप बालों वाली एक बड़ी सी टोपी पहना करें, जिससे सब आपकी ही ओर देखा करेंगे ।

श्री सतीश चन्द्र : मुश्किल कुछ बड़े राज्यों को ही लेकर खड़ी हुई है, जिनके वित्तीय-संसाधन अपेक्षतया अच्छे हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मेरा प्रश्न था कि इस प्रश्न के महत्व और इस प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होने वाली अच्छी सैन्य-सामग्री की दृष्टि में क्या भारत-सरकार ऐसे राज्यों को यथासंभव आर्थिक सहायता देने का विचार करेगी, जिनके पास पैसा नहीं है ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं माननीय सदस्य का एक भ्रम दूर कर दूं। राष्ट्रीय छात्र सेना के सैनिकों का कोई भी सैनिक-दायित्व नहीं होता। यह तो एक विशुद्ध शिक्षा-संबंधी कार्यक्रम है और यह प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए सेना में भरती होना अनिवार्य नहीं है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: मैं यह खूब जानता हूं। मैंने इन छात्रसैनिकों से प्राप्त होने वाली अच्छी सैन्य-सामग्री की दृष्टि से कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर तर्क कर रहे हैं।

श्री सतीश चन्द्र : यह प्रशिक्षण सीधे-सीधे वहां तक नहीं ले जाता। यह तो युवकों में चरित्र और अनुशासन का विकास करने के लिए चलाया गया एक आंदोलन है।

कमीशन वाले पदों में विभागीय पदोन्नतियां

*१९२७. **श्री रघुवय्या:** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सेना-आर्डनेंस-कोर जैसी सैन्य-सेवाओं में कमीशन वाले पदों में विभागीय-पदोन्नतियां पूर्ववत् नहीं की जा रही हैं?

(ख) यदि सच है, तो किन कारणों से?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). केवल ब्रिटिश वारंट अफसर और ब्रिटिश अन्य पद वाले ही सेना के कमीशन वाले पदों में विभागीय-पदोन्नति के अधिकारी थे। स्वाधीनता के बाद भारतीय सेना से अंग्रेजों के कारण एतद्विसषक आदेश अपने आप समाप्त हो गए। सेना-आर्डनेंस-कोर में कुछ असैनिक तथा सैनिक भांडारपालकों को विभागीय (भंडार) पदाधिकारियों के संस्थापन में अधिकृत रिक्तस्थानों की पूर्ति के लिए कमीशन दिए गए। यह एक संकट-कालीन आयोजन था और संकट की समाप्ति के बाद अप्रभावी हो गया।

राष्ट्रीय महत्व के स्मारक

*१९३६. **श्री एच० जी० वैष्णव (श्री तेलकीकर की ओर से):** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री उन लक्षणों का उल्लेख करने की कृपा करेंगे जिन के आधार पर कोई स्मारक प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातन स्थान एवं अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, १९५१, के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा सकता है?

(ख) सर्वान्तिम घोषणाएं कौन सी हैं?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक जो स्थापत्य, पुरातत्व अथवा इतिहास के दृष्टिकोण से असाधारण महत्व रखते हों वह राष्ट्रीय महत्व के समझे जाते हैं।

(ख) सर्वान्तिम घोषणाएं वह हैं जो प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातन स्थान एवं अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम, १९५१, में समाविष्ट हैं। एक विधेयक जिसका आशय इस अधिनियम को संशोधित करना है इस समय सदन के समक्ष विचाराधीन है।

अल्प-सूचना प्रश्न तथा उत्तर

वाईकिंग वायुयान के उड़ाए जाने पर रोक

श्री जोशिम अल्वा: संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे: (क) क्या यह

सत्य है कि इंडियन नैशनल एअरवेज़ ने २४ अप्रैल, १९५३, को कलकत्ता जाने के लिए वाइकिंग का प्रयोग किया ;

(ख) क्या यह सत्य है कि उसका पंखा (प्रोपैल्लर) अवतरण से पूर्व काम करने से रह गया; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि निर्माताओं की ओर से की गई रोक के होते हुए भी वायुयान का प्रयोग किया गया ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) चालक ने पोर्ट इंजन को बन्द करके प्रोपैल्लर को जान बूझ कर चलाया था, क्योंकि डमडम के निकट पहुंचने पर उसे यह अनुभव हुआ कि शक्ति का अभाव हो रहा है । बाद में निरीक्षण करने पर इंजन चालू दशा में पाया गया ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री जोशिम अल्वा : भारत में कितने वाइकिंग चल रहे हैं और कितने ऐसे हैं जिनके उड़ाय जाने पर रोक लगा दी गई थी ओर काम से हटा लिया गया था ?

श्री राजबहादुर : एयर इंडिया के पास सात वाइकिंग हैं और इंडियन नैशनल एअरवेज़ के पास पांच । इन में से दस या तो अवरुद्ध हैं या उड्डयन-उपयोगिता के सर्टीफिकेट की प्रतीक्षा में हैं । इस समय केवल दो चालू हैं ।

श्री जोशिम अल्वा : क्या यह सत्य नहीं है कि असैनिक उड्डयन विभाग ने इन वाइकिंग वायुयानों को चालू करने का आदेश देकर एक संकट पूर्ण काम किया जबकि उन के चलाये जाने पर एक प्रकार की विश्व-व्यापी रोक लगी हुई थी ?

श्री राजबहादुर : कोई पूर्ण विश्व-व्यापी रोक नहीं है । वास्तव में अफ्रीका में एक दुर्घटना के फलस्वरूप निर्माताओं ने कुछ विशेष निष्कर्ष निकाला तथा उन्हों ने वाइकिंग प्रकार के वायुयानों के उड्डयन काल पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए तथा उन्होंने यह भी निश्चय किया कि जब कोई ऐसा वायुयान कुछ विशेष घण्टों तक उड़ान कर चुके तो कुछ एक रचनात्मक रूप भेद के बिना उसे फिर उड़ने न दिया जाये ।

श्री जोशिम अल्वा : क्या असैनिक उड्डयन विभाग ने संचालकों की सुविधा के लिए उन्हें अवरुद्ध बाइकिंग वायुयानों के स्थान पर डकोटा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ?

श्री राजबहादुर : अपनी सेवाओं को चालू रखने के उत्तरदायित्व की पूर्ति कम्पनियों को करनी होती है और उनके पास, सम्भवतः, इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए डकोटाओं की पर्याप्त संख्या रहती है ।

श्री जोशिम अल्वा : क्या इन वाइकिंग वायुयानों में धातु की थकान पाई गई थी ?

श्री राजबहादुर : इस प्रकरण में पंख के एक भाग में धातु की थकान पाई गई थी ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न प्रकार के वायुयानों में पाए गए दोषों के बारे में सरकार निर्माताओं से सम्पर्क बनाए रखती है ?

श्री राजबहादुर : विभिन्न वायु-कम्पनियों के अभियन्त्रण विशेषज्ञ निर्माताओं के साथ निरन्तर सम्पर्क रखते हैं और समय समय पर उन्हें प्राप्त अनुभव तथा किए गए अनुसंधान के बारे में सभी प्रकार की सूचना मिलती रहती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र

*१९१३. **सरदार हुक्म सिंह : प्रकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री २७ अगस्त, १९५१, को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५७२ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र की स्थापना राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई देहली, में हो चुकी हुई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो केन्द्र द्वारा अब तक संभाला गया कार्य क्रम ; तथा

(ग) उक्त केन्द्र के लिए यूनेस्को से प्राप्त सहायता ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ११ अनुबन्ध संख्या ३७**]

त्रिपुरा में जलाए गए बाजार

१३७८. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या राज्य मंत्री त्रिपुरा के उन बाज़ारों की संख्या तथा नाम बतलाने की कृपा करेंगे जो १९५०—५३ में जल गए थे ?

(ख) भविषय में बाज़ारों को जलाने से बचाने के लिए सरकार के पास किस उपाय का सुझाव है ?

(ग) उक्त बाज़ारों के जल जाने के परिणाम स्वरूप कुल कितनी सम्पत्ति की हानि हुई थी ?

(घ) प्रत्येक इलाके के उन व्यक्तियों को जिन की हानि हुई थी क्या प्रतिकर दिया गया था तथा अब तक कितनी राशि व्यापार-ऋण के रूप में दी जा चुकी है ?

(ङ) क्या सरकार का विचार इन सभी नगरों में फायर-ब्रिगेड का प्रबन्ध करने का है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) १९५०—५३ में जले बाज़ारों की संख्या ११ है। इन बाज़ारों के नाम हैं सालगरह, कक्ड़ाबन, रागना, तिलथई, दामचेरा, कमालपुर, खोवाई, कल्यानपुर, तेलियामूड़ा, फाटिकराएं तथा महाराजगंज बाज़ार (अगरताला)।

(ख) सरकार ने व्यापारियों को यह जतलाया है कि उन्हें आग बुझाने वाले यन्त्रों का प्रबन्ध करना चाहियें, दुकानों के निकट रसोई घर नहीं रखने चाहिये, छप्परदार मकानों पर टीन की छत्तें डालनी चाहिएं अथवा किसी ऐसी चीज़ की जिसे आग न लग सके, जल उठने वाले सामान को रखने के लिए बाज़ारों से काफी दूर गोदाम बनाने चाहिएं।

(ग) इन बाज़ारों में आग से सम्पत्ति की कुल हानि लगभग १५,००,००० रुपया हुई है।

(घ) सरकार द्वारा प्रतिकर दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी तक कोई व्यापार ऋण स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

(ङ) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

त्रिपुरा के महाराजगंज बाजार में आग

१३७९. **श्री दशरथ देव** (क) क्या राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि

त्रिपुरा में स्थित महाराजगंज बाज़ार (खोवाई) में आग के फलस्बरूप सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

(ख) क्या राज्य सरकार तथा भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन इस आशय का दिया गया है कि सरकार क्षति पूर्ति भी दे तथा व्यापार के लिए ऋण भी ?

(ग) यदि ऐसा है तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) अनुमानित हानि एक लाख रुपया है ।

(ख) तथा (ग) ऐसे प्रकरणों में सरकार द्वारा क्षति पूर्ति दिए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । क्षतिपूर्ति के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए परन्तु ५,००० रुपये की सहायता दान रूप में कर दी गई थी । व्यापारियों ने ढाई लाख रुपये के ऋण की मांग की थी । यह आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ।

राजस्थान के साथ वित्तीय समझौता

१३८०. श्री भीखा भाई : राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि फरवरी, १९५० में फैडरल वित्तीय एकीकरण के समय राजस्थान के राजप्रमुख के साथ एक वित्तीय समझौता किया गया था;

(ख) क्या समझौते के खंड (१) में उल्लिखित केन्द्रीय सहायता का वचन पूरा किया गया है; तथा

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस वचन की पूर्त्ति कहां तक की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). राजस्थान की समस्याओं पर योजना आयोग तथा वित्त आयोग द्वारा अपने अपने दृष्टिकोणों से विचार किया गया है, अतः उक्त आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप उक्त राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर दी गई है । भारत सरकार ने श्री एन० वी० गाडगिल, संसद-सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की है जिस का काम यह पता लगाना है कि उक्त राज्य को और कितनी वित्तीय तथा टैकनिकल सहायता की आवश्यकता है ।

गृह-निर्माण हेतु ऋण

१३८१. डा० राम सुभग सिंह : क्या **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ में केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को दी गई धन-राशियां जिन में से उन राज्यों में आबाद विस्थापित व्यक्तियों को गृह-निर्माण हेतु ऋण दिए जा सकेंगे; तथा

(ख) उन ऋणों के आधार पर उन राज्यों में बनाए गए छोटे बड़े मकानों की संख्या ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ३८**]

आजाद मार्किट, देहली

१३८२. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या पुनर्वास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देहली की आजाद मार्किट में बनाई गई दुकानों की संख्या ;

(ख) प्रत्येक एकक पर कुल निर्माण परिव्यय ;

(ग) मासिक किराया जो लिया जाता है ; तथा

(घ) उक्त मार्किट में किन किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है (सड़कें बिजली इत्यादि) ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) ४२८, (ख) लगभग २,६८० रुपये ।

(ग) ३० रुपये प्रति मास प्रति एकक अस्थाई रूप से ।

(घ) दो टट्टी के ब्लाकों की व्यवस्था की गई है जिसके साथ एक नल तथा तीन मूत्र करने के स्थान भी हैं । सड़क तैयार होने वाली है । अगले महीने के अन्त तक बिजली की व्यवस्था हो जाने की भी आशा है ।

आयकर अपील न्यायाधिकरण

१३८३. **श्री संगण्णा :** विधि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में उड़ीसा राज्य के प्रत्येक सर्कल के आयकर अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध सम्बद्ध अपील न्यायाधिकरणों के पास कितनी अपीलें प्रस्तुत की गई ?

(ख) उन में से कितनी अपीलों का निर्णय हो चुका है और कितनी अभी तक विचाराधीन है ?

(ग) उन अपीलों की संख्या क्या है जो क्रमशः एक वर्ष, दो वर्षों, तीन वर्षों, चार वर्षों तथा पांच वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

(घ) प्रत्येक अपील केस का निर्णय करने में एक अपील न्यायाधिकरण अधिकाधिक कितना समय ले सकता है ?

(ङ) क्या सरकार विचाराधीन प्रकरणों के बारे में विवरण मांगती हैं तथा उन का पुनर्विलोकन करती है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): (क) से (ग). दो विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ११ अनुबन्ध संख्या ३९**]

(घ) यह नहीं कहा जा सकता कि न्ययाधिकरण प्रत्येक प्रकरण के निर्णय में कितना समय लेगा । यह प्रत्येक प्रकरण के अपने विशेष लक्षणों पर निर्भर है । हो सकता है कि एक साधारण से प्रकरण पर आध घण्टे से भी अधिक समय न लगे परन्तु बड़े प्रकरणों के सुनने में जिन में बड़ी बड़ी राशियों का विवाद होता है अथवा तथ्य या बिधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्गत होते हैं आध दिन से लेकर एक दिन तक लग सकता है और हो सकता है कि न्यायाधिकरण को निश्चय पर पहुंचने तथा आदेश लिखवाने में कुछ सप्ताह लग जाएं ।

आयकर अपील न्यायाधिकरण द्वारा विधि मंत्रालय को, राज्य तथा बैंक के हिसाब से, अपीलों की प्रस्तुति तथा निर्णय के सम्बन्ध में मासिक विवरण दिए जाते हैं । प्रस्तुति तथा निर्णय के वार्षिक विवरण वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट में समाविष्ट किए जाते हैं जो सरकार को भेजी जाती हैं ।

५५ के ऊपर और ६० से नीचे आयु के सचिवालय सम्बन्धी कर्मचारी

१३८४ श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय के उन सचिवालय सम्बन्धी (मिनिस्टीरियल) कर्मचारियों का प्रतिशतक क्या है जो ५५ वर्ष से ऊपर हैं तथा ६० से नीचे और अभी तक सेवायुक्त हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा तथा शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएं

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के हिलेशज कर्मचारी

१३८५. डा० अमीन : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में इस समय काम कर रहे विदेशियों की संख्या तथा उनके नाम, देश जहां के वह नागरिक हैं योग्यताएं, अनुभव तथा वेतन तथा भत्ता प्रत्येक को प्राप्त होता है क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रक्खा गया देखिये संख्या एस०७६/५३]**

सरकारी प्रोवीडेंट फंड स्कीम

१३८६. श्री मोहनलाल सक्सेना : क्या **वित्त मंत्री** उस वार्षिक अंशदान की कुल राशि बतलाने की कृपा करेंगे जो १९५०--५१ १९५१--५२ तथा १९५२--५३ में सरकारी प्रावीडेंट फंड स्कीम के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) स्पष्टतः माननीय सदस्य का निदेश केन्द्रीय सरकार के सामान्य प्रावीडेंट फंड की ओर है। उक्त फंड के शुद्ध वार्षिक अंशदान की वास्तविक राशि के अंक सुविधापूर्वक उपलब्ध नहीं हैं । उक्त फंड के कुल निक्षप, अर्थात उक्तकालान्तर में (१) अस्थाई ऋणों की वापसी तथा (२) ब्याज को मिलाकर निम्न प्रकार थे:--

	(लाख रुपयों में)
१९५०--५१	३,८१
१९५१--५२	४,२९
१९५२--५३ (संशोधित अनुमान)	४,४३

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
७ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ७ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९-१५ म० पू०

डा० एन० बी० खरे का वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय: डा० खरे।

डा० एन० बी० खरे: श्रीमान्, सदन में प्रधान मंत्री के वक्तव्य, जिस में उन्होंने कुछ बात बताई थीं, और विधि मंत्री द्वारा बिना शर्त क्षमा याचना के बाद म उन के विरुद्ध वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखना चाहता जिस की मैं ने पूर्वसूचना दी थी। मुझे आशा है कि इस के बाद मंत्री गण कम से कम इतनी सावधानी तो बर्तेंगे कि अपने सचिवों द्वारा भेजी गई मिसलों को पढ़ लिया करें।

श्रीमान्, मैं अब इतना ही कहूंगा :

अकलमन्द रा इशारा काफ़ी अस्त

[अर्थात् बुद्धिमानों के लिए तो एक शब्द ही काफी है।]

वायु निगम विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: अब सदन में वायु निगम विधेयक पर आगे चर्चा होगी। श्री दामोदर मेनन बोल रहे थे।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे): कल मैं ने यह सुझाव दिया था कि निगम के सदस्य पूरा समय निगम के सदस्यों की तरह ही कार्य करें। मैं ने मंत्री महोदय के इस प्रस्ताव की भी चर्चा की थी कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निगम में भेजे जाने वाले अधिकारी उस के पूरे सदस्य माने जायं। मेरे विचार में तो ये अधिकारी परामर्श-दाताओं की तरह ही कार्य करें तो अच्छा है, क्योंकि यदि वे निगम के सदस्यों के नाते कोई निर्णय कर बैठें तो बाद में सरकार को वे निर्णय बदलने में झिझक सी होगी। यदि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में अपनी राय बदल लें तो ठीक होगा।

इस निगम की सदस्यता के सम्बन्ध में एक बात यह भी है कि इस में मज़दूरों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अब जब कि हम राष्ट्रीयकरण की ओर एक पग उठा रहे हैं, मज़दूरों में यह भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि हम उन पर विश्वास करते हैं। मज़दूरों के उत्साह पर ही राष्ट्रीयकरण की सफलता निर्भर करती है।

प्रवर समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक संगत प्रश्न प्रतिकर का भी है। मेरा विचार है कि जुलाई १९५२ में बाज़ार

[श्री दामोदर मेनन]

में विभिन्न वायु कम्पनियों के हिस्सों के जो दर थे, उन्हीं पर उन्हें खरीद लिया जाय तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार साधारण हिस्सेदारों के हितों की रक्षा हो सकेगी। यदि हम निश्चित दरों पर इन कम्पनियों के परिसम्पत खरीदें तो सम्भव है कि युद्ध के बाद ख़रीदा गया सेना का फालतू सामान ही हमारे पल्ले पड़े जिस में से बहुत सा रद्दी सामान हो। इस दृष्टिकोण से भी यही अच्छा होगा कि हम कम्पनियों के हिस्से ही खरीद लें।

माननीय मंत्री का कहना है कि बाज़ार में इन हिस्सों का मूल्य बहुत गिरा हुआ है क्योंकि इन कम्पनियों को लाभ नहीं हो रहा था। यदि वे यह महसूस करते हैं कि बाज़ार में इन हिस्सों का वर्तमान मूल्य कम है तो उस से तनिक अधिक मूल्य पर खरीद लीजिये, यद्यपि यह ज़रूरी नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री भोंसले का सुझाव है कि अवक्षयण (घिसाई) का दर उचित है। माननीय मंत्री ने अनुसूची में विशेष अवक्षयण दर दिया है परन्तु मेरा कहना यह है कि यह दर उतना ही होना चाहिए जितना कि आयकर कानून के अधीन माना जाता है। अवक्षयण निधि की अनुमति इसीलिए दी जाती है कि जो सामान पुराना पड़ गया हो उस के स्थान में नया ख़रीदा जा सके। अब सरकार विशेष अनुसूची के अनुसार इन कम्पनियों के सारे परिसम्पत खरीदती है तो कम्पनियों को क्या हानि पहुंचेगी? हमें करदाताओं का रुपया इस प्रकार नहीं बहाना चाहिए इसलिए सरकार यदि आय-कर के अधीन दी जाने वाली अवक्षयण सम्बन्धी छूट को ही लागू करे तो कोई अन्याय नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि सरकार इन कम्पनियों के हिस्से ही खरीद ले। यदि ऐसा सम्भव न हो तो सरकार को उपरोक्त छूट ही देनी चाहिए।

आज ही मुझे एक तार मिला है जिस में कहा गया है कि एयरवेज़ इण्डिया, कलकत्ता के ४३ कर्मचारियों को वायु निगम विधेयक की धारा २० के अधीन काम से हटाने का नोटिस दे दिया गया है। धारा २० के अधीन जुलाई १९५२ में या उस से पहले रखे गए कर्मचारियों को संरक्षण दिया गया है परन्तु उस के बाद रखे गए कर्मचारियों की स्थिति अनिश्चित है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और यह व्यवस्था करें कि अब निकाले गए कर्मचारियों को, यदि सम्भव हुआ, बाद में रख लिया जायगा जब सरकार सारा प्रबन्ध सम्भालेगी।

वायु निगम विधेयक

याचिका सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

पण्डित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): मैं वायु निगम विधेयक, १९५३ सम्बन्धी याचिका समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

वायु निगम विधेयक—जारी

श्री गाडगिल (पूना मध्य): मैं इस विधेयक पर हुई चर्चा को सुनने के बाद इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि सरकार द्वारा वायु परिवहन उद्योग को अपने हाथ में लेने पर लगभग सभी सहमत हैं। सरकार यदि इस उद्योग की सहायता न करती तो इसे बड़ी हानि पहुंचती। राजाध्यक्ष समिति को इस उद्योग से विकास की जो आशा थी वह पूरी नहीं हुई है।

अब जब कि सरकार इसे स्वयं सम्भाल रही है, उस का उद्देश्य केवल यही नहीं होना चाहिए कि विदेशों से ही आवश्यक सामान खरीदने पर सन्तुष्ट रहे। राष्ट्रीय-करण योजना का एक अंग यह होना चाहिए कि यथाशीघ्र वायुयान भारत में बनने लगें। मुझे विश्वास है कि सरकार का उद्देश्य यही है, यद्यपि विधेयक में यह बात स्पष्ट नहीं की गई।

कई माननीय मित्रों ने यह शिकायत की है कि नियमित सर्विस न चलाने वाली कम्पनियों को सरकार अपने हाथ में नहीं ले रही। मालूम होता है कि ऐसे वायु-यानों की संख्या काफी है जो नियमित सर्विसों पर नहीं चलते। मालूम होता है कि दो वायु निगमों के अतिरिक्त ऐसे अनियमित वायुयान संचालक भी काम करते रहेंगे। इन से कुछ उलझनें उत्पन्न होंगी। धीरे धीरे इन निगमों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे ऐसे संचालकों का काम भी सम्भाल सकें।

इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई है कि संगठन का रूप क्या हो। एक तो यह है कि विभाग इस को चलाए, दूसरा यह है कि विधि द्वारा कोई कम्पनी बनाई जाय और तीसरा यह है कि निगम बना दिया जाय। हम दो का परीक्षण कर चुके हैं। दामोदर घाटी योजना के लिए निगम बनाया गया और सिन्दरी के कार-खाने के लिए कम्पनी बनाई। यह कहना कठिन है कि दोनों में से कौन सा संगठन अच्छा है, यह तो परीक्षण से ही पता चल सकता है। वायु परिवहन जांच समिति ने इस सम्बन्ध में यह कहा है कि मुख्य बात तो कार्यक्षमता की है जो सरकारी संगठन में पूर्ण रूप से नहीं पाई जा सकती। मैं सम्भवतः इस बात से सहमत न होऊं परन्तु दो बातें अवश्य होनी चाहिए—कार्यक्षमता तथा संसद् का नियंत्रण। आखिर रुपया तो करदाताओं का खर्च होगा, यदि संगठन के रूप से इस सम्बन्ध में संसद् की ज़िम्मेदारी पर प्रभाव पड़े तो ठीक नहीं होगा।

जहां तक संसद् के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का सम्बन्ध है, इस के बारे में कई स्पष्ट सिद्धान्त हैं जो अनुभव में ठीक रहे हैं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

जिस समय दामोदर घाटी निगम विधेयक पर चर्चा हुई थी, इस बात पर भी पूरा पूरा विचार किया गया था। उस समय दो दृष्टिकोण थे, पहला यह था कि निगम पूरी तरह से स्वायत्त होना चाहिए और दूसरा यह था कि उक्त निगम पर नियन्त्रण बिठाया जाना चाहिए। तो हम दोनों के बीच का मार्ग देखा गया और दामोदर घाटी निगम अधिनियम में यह उपबंधित था कि केन्द्रीय सरकार को निर्देश जारी करने का साधारण अधिकार है, किन्तु प्रति दिन के प्रशासन के मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही दामोदर घाटी निगम अधिनियम में यह भी उपबंधित हुआ था कि सरकार को प्रति वर्ष इस सदन के समक्ष वार्षिक लेखा विवरण, प्राक्कलन विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट रखनी चाहिए।

इस विधेयक के खण्ड ३५ और ३६ में संसद् के नियन्त्रण की ओर निर्देश है। मैं आशा करता हूं कि हमें उस निगम या सभी निगमों की वित्तीय स्थिति का पूरा पूरा पता चलेगा। हमारे पास एक कम्पनी की नहीं बल्कि सभी कम्पनियों

[श्री गाडगिल]

की रिपोर्टें आया करेंगी । किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त तथा सामान्य नीति के सम्बन्ध में इन राज्यों की कम्पनियों की गतिविधियों पर संघ का नियन्त्रण होना चाहिए । चुनाचि, उस परिनियत फार्म पर इन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए ।

इस निश्चय के बाद यह प्रश्न रहता है कि एक निगम होना चाहिए अथवा दो । राज्याध्यक्ष कमेटी ने राज्य निगम बनाने का सुझाव दिया । राज्याध्यक्ष कमेटी के बिठाये जाने के समय एयर इण्डिया इन्टरनैशनल ने अपना काम शुरू ही किया था । अतः एव एक राज्य निगम शुरू करने के लिए उस कमेटी की सिफारिशों पर विचार करना ठीक नहीं होगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : योजना आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध म आपका क्या विचार है ?

श्री गाडगिल : यदि राज्याध्यक्ष कमेटी ने एयर इंडिया इन्टरनैशनल के अनुभव से लाभ उठाया होता, तो वह कदाचित् और किसी निष्कर्ष पर पहुंची होती ।

योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि एक ही निगम होना चाहिए, और अन्य लोगों का मत है कि दो निगम होने चाहिए किन्तु यदि एक ही निगम को सारा काम सौंपा जाय तो शायद काम इतने अच्छे ढंग से नहीं होगा । मंत्री जी द्वारा दिया गया तर्क विचारनीय है । किन्तु यदि वह यह भी कहते हैं कि वह किसी सिद्धांत से बन्धे नहीं हैं, और इसलिए शुरू शुरू में दो निगम होने चाहिए, तो हमें इस प्रकार की बात को अनुभव में लाना चाहिए, और यदि अनुभव से यही सिद्ध हो जाय कि दो निगमों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रस्ताव के विरोधी भी यही कहेंगे कि गुण और अवगुण बराबर तथा संतुलित हैं । मेरा यह सुझाव है कि ऐसी स्थिति में सरकार को ही अन्तिम चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि उन्हें ही इस के संचालन के लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है । अतः हमें इस तरह की द्वेषित धारणाओं को लेकर नहीं चलना चाहिए ।

इस के साथ ही इस विधेयक में यह उपबंधित हुआ है कि दोनों निगमों का एक ही अध्यक्ष हो सकता है । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक भी हो सके, इंजीनियरिंग तथा अन्य सेवाओं को एक व्यक्ति की ही अध्यक्षता म रखना चाहिए ताकि कार्य ठीक ढंग से हो तथा धन में दो ओर का व्यय न हो । मुझे इस बात का विश्वास है कि जब मंत्री जी इन निगमों का कार्य संचालन करेंगे तो वह इन बातों पर विचार करेंगे ।

वर्तमान कर्मचारी-वर्ग के सम्बन्ध में हम सभी जानते हैं कि किस तरह अपने योग्यताहीन कुटुम्बियों और निर्योग्य सम्बन्धियों को काम में लगाया जाता है जिस से अन्य लोगों को काम का कोई भी अवसर नहीं मिलता । मेरे पास ऐसे व्यक्तियों की एक सूची है (**श्री के० के० बसु** : हमें बताइये ।) जो योग्यता प्राप्त हैं किन्तु जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है । मैं उनके नाम यहां बताना नहीं चाहता । (**डा० लंका सन्दरम्** : क्यों नहीं ?) मैं तो मंत्री जी को बतला चुका हूं और वह मेरे साथ वादा भी कर चुके हैं । जब स्तर-वार, अग्रता-वार एकीकरण का प्रश्न

आ जाय तो वह इस बात का ध्यान रखें कि कौन व्यक्ति काम के लिए योग्य है और कौन अयोग्य हैं । मैं उनके इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि वह एक ऐसी समिति को नियुक्त करेंगे जिस का अध्यक्षत्व उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश करेगा, और वह एकीकरण के प्रश्न पर विचार करा लेंगे । यह काम इतना आसान नहीं है और आप को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि एकीकरण के प्रश्न से अभी भी सरकार को परेशानी हो रही है ।

अतः शुरू में उन्हें इस सारे पर विचार करना होगा, और यदि कहीं छंटनी भी करनी पड़े, तो उसके बिना और कोई भी चारा नहीं होगा । यदि हम आर्थिक अभिनवीकरण चाहते हैं और चाहते हैं कि दो बार एक ही काम न हो, पैसे या समय का अपव्यय न हो तो हमें कर्मचारी वर्ग को पर्याप्तता पर भी विचार करना होगा और तदनुसार चलना पड़ेगा । मान लीजिए कि नौ कम्पनियां हैं । स्पष्ट है कि उनके नौ चीफ इंजीनियर होंगे । लेकिन उन सभी को नहीं रखा जा सकेगा । किन्तु मंत्री जी का यह वचन है कि जहां तक भी हो सके, वर्तमान कमचारी वर्ग को रखा जायगा । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कार्यकुशल कर्मचारियों को रखा जायेगा, और उनके रखे जाने में भी योग्यता ो ही मापदण्ड माना जाएगा ।

इसके पश्चात्, पुरज़ों तथा अन्य सामग्री के मूल्यांकन का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बीस मिनट तक बोल चुके हैं। और भी बहुत से लोग हैं जो बोलने के इच्छुक हैं, अतः माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री गाडगिल : हां मैं क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में एक शब्द कहूंगा । मेरे विचार में राशि तथा वितरण ही इसके दो पहलू हैं । सरकार संपत्ति का मूल्य आंक कर राशि निर्धारित कर सकती है । वास्तविक प्रश्न यह ह कि कम्पनी के विविध भागों में किस प्रकार उसका वितरण किया जाय । कल श्री बंसल ने एक अच्छी बात कही थी कि लोगों के साथ अन्याय होगा और पूंजी बाज़ार को धक्का लगेगा । अतः मेरा यह सुझाव है कि यदि १०० रुपये एक प्राथमिकता अंश हो जिस का प्रत्यक्ष मूल्य १०० रुपये हो और १०० रुपये का सामान्य अंश हो, तो प्राथमिकता अंश को दो सामान्य अंशों के समान माना जाना चाहिए तथा उसी के आधार पर सारी राशि का वितरण होना चाहिए। यह भी एक तरीका है । मेरा यह अभिप्राय है कि कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे सभी लोगों के साथ समान वर्ताव होगा । मुझे मालूम नहीं कि इस प्रकार का उपबन्ध कहां तक अधिकार में है, किन्तु कई खण्डों मे कम्पनी अधिनियमों के उपबन्धों को संक्षिप्त रूप में बतलाया गया है । विधेयक के खण्ड २० (४) को लीजिए जिस में यह बतलाया गया है कि "भारतीय कम्पनी अधिनियम में किसी भी बात के सम्मिलित होने के बावजूद", इस तरह का कोई भी ेका हो, तो वह समाप्त किया जायेगा । यदि यह भी संविधान के क्षेत्र के अन्तर्गत है तो मुझे मालूम नहीं होता कि क्या क्षतिपूर्ति के लिए वितरण-सिद्धातों को इस विधेयक में सम्मिलित किया जा सकता है । यही मेरा सुझाव है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : इस बात पर बहुत ही विचार किया गया कि

[श्री एन० सी० चटर्जी]

क्या दो निगमों का रखा जाना वाञ्छनीय होगा अथवा नहीं। यह तो माना जायेगा कि हमारा नागरिक उड्डयन उद्योग बहुत हद तक अक्षम रहा है, और सरकार ने इस जैसा विधेयक प्रस्तुत करके एक उचित कदम उठाया है। अब सारा प्रश्न यह है कि क्या यह संसद् योजना आयोग के सिफारिश पर ही पुनः विचार करेगी। वायु यातायात पूछताछ कमेटी तथा योजना आयोग की यही सिफारिश थी कि सभी कम्पनियों को एक ही निगम में विलीन कर देना चाहिए। हां, इस में थोड़ा-सा दोहरापन होगा ही। जो हवाई जहाज से विदेश गये हों उन्हें इस बात का ज्ञान होगा कि भारत एयर इंडिया इंटरनैशनल पर गर्व कर सकता है। इस कम्पनी की कीर्ति फैली हुई है और सारे देशों में इसकी सद्भावना मानी जाती है। कदाचित् लोगों का यह विचार है कि एक ही निगम होने से हमारी कार्यक्षमता में ह्रास होगा। जब तक हिमालयन एवियेशन कार्य कर रहा था तब तक लगभग १८ महीनों में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, किन्तु जब सरकार ने इसका भार संभाला तो तीन ही महीनों में तीन दुर्घटनायें हुईं।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : कोई आश्चर्य की बात नहीं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीयकरण से न तो कार्य-क्षमता कम होगी, और न नौकरशाही चलेगी, बल्कि चारों ओर सुधार होगा।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि श्री जयपाल सिंह तथा डा० मुकर्जी की इन सिफारिशों में कुछ ज़ोर है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए चुनाव समितियां होने चाहिए। श्री गाडगिल का कहना था कि यदि नौ के नौ चीफ इंजीनियर नहीं रखे गये, तब भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता और हर काम उचित ढंग से होता है।

तीसरी बात जिस से इस संसद् तथा चुनाव समितियों के सदस्यों को चिन्ता हुई है, क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में है। यही एक सब से कठिन मामला है जिस की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। सभापति जी, आपके विमति-टिप्पण में यह चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। आप ने कहा है कि यह स्थिति इतनी निराशाजनक है कि आप इसका कोई भी सुलझाव नहीं निकाल सकते। ठीक है कि यह कठिन समस्या है, किन्तु इस में ऐसी कोई भी बात नहीं कि इसको सुलझाया नहीं जा सकता हो। इस विधेयक के साथ लगी हुई अनुसूची में क्षतिपूर्ति के सिद्धांत दिये गये हैं, और यह सौभाग्य की बात है कि बहुत सी कम्पनियों ने इसे स्वीकार करने का मत प्रगट किया है। हां, एक कम्पनी गड़बड़ करती है, और यदि आप इस अनुसूची पर चले तो उस कम्पनी को क्या होगा ? एक भी भागीदार को कौड़ी भर अंश नहीं मिलेगा। यही दुर्भाग्य है।

आप ने अपनी विमति-टिप्पणी में यह भी बताया है कि भारत एयरवेज़ के २५००० साधारण भागीदारों में से किसी को भी, क्षतिपूर्ति के रूप में एक कौड़ी नहीं मिलेगी। इस कम्पनी में ३०,००० प्राथमिकता अंशधारियों द्वारा लगभग ३० लाख रुपये के अंशों का संचय हुआ था।

श्री जगजीवन राम : ३०,००० अंश। ५ लाख अंशधारी नहीं बल्कि ५ लाख अंश ।

श्री एन० सी० चटर्जी : १० रुपये वाले अंशों के ५ लाख अंश और इस तरह कुल ५० लाख रुपये का अंशदान और ३०,००० संचयात्मक प्राथमिकता अंश, जिसमें प्रत्येक अंशधारी १०० रुपये देता है । इस तरह ३० लाख रुपय बने ।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पश्चिम): जिस के स्वामी ६ व्यक्ति हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरे मान्य मित्र का कहना है कि ६ ही स्वामी हैं । परिणाम यह होगा कि केवल ६ व्यक्तियों को सारी क्षतिपूर्ति मिलेगी, अन्य साधारण अंशधारियों को कुछ भी नहीं मिलेगा । यह तो बहुत निराशा-जनक बात है, और आप ने यह ठीक कहा है कि छोटे २ अंशधारियों के लिये अवश्य कुछ किया जाना चाहिये ।

१० म० पू०

कल जिस समय श्री बंसल भाषण दे रहे थे, तो माननीय मंत्री ने बीच में बोलते हुए, जो कुछ भी कहा वह एक सही तरीक़ा है । और क़ानून के रूप में लागू भी हो सकता है ।

हमें अब केवल एक काम करना पड़ेगा । वह यह है कि अंश प्राप्त करने के लिये इस विधेयक में अधिकार-प्राप्ति का समावेश करना पड़ेगा । हमें मालूम है कि ये अंश लोगों द्वारा दिये गये हैं, कम्पनी की संम्पत्ति नहीं हैं । ये तो व्यक्तिगत अंशधारियों की संपत्ति हैं तो यदि आप ये अंश प्राप्त करेंगे, तभी आप क्षतिपूर्ति दे सकेंगे । अंशधारियों के हित के लिये आप यह परिनियत कर सकते हैं कि अंशराशि के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि ऐसा काम किया जा सकता है और इससे संविधान का खण्डन नहीं होगा । अनुच्छेद ३१ में यह परिनियत हुआ है कि या तो स्वयं विधेयक में क्षतिपूर्ति–राशि रखी जाये, या आप वे सिद्धान्त परिनियत करें जिन के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जा सकेगी । संभवतः आप क्षतिपूर्ति–राशि का निश्चय नहीं कर सकते । वह असंभव है किन्तु यदि आप वे सिद्धान्त रख सकते हैं जिन के द्वारा अंशधारियों के हित प्राप्त किये जा सकेंगे तथा क्षतिपूर्ति का वितरण होगा, तो वह चल सकेगा तथा न्यायालयों द्वारा उस पर कोई भी न्याय नहीं दिया जा सकेगा । न्यायालय यह नहीं कह सकते कि संसद् ने अमुक प्रकार के सिद्धान्त परिनियत किये हैं, और उसे और किसी ढंग से काम करना चाहिये था । वे तो किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकते.....

सभापति महोदय : क्या इसका यह अर्थ है कि कम्पनी नहीं अपितु अंश प्राप्त किये जायेंगे ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूची के अनुसार चलने में कोई भी कठिनाई नहीं है । किन्तु यदि कोई कम्पनी गड़बड़ करे, और अनुसूची को स्वीकार न करे जिससे साधारण अंशधारियों के अंश ही हड़प हो जायें, तो ऐसी स्थिति में संसद् सरकार को इस बात की शक्ति प्रदान करे कि वह ये अंश प्राप्त कर सके । मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी ने उसे देखा होगा । मैं ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया है कि एक नया खण्ड १६क होना

[श्री एन० सी० चटर्जी]

चाहिये । मैं यह भी जानता हूं कि प्रारूप पूर्ण नहीं । इसमें सुधार किया जा सकता है ।

श्री राज बहादुर : कौनसा संशोधन ?

श्री एन० सी० चटर्जी : ११७ ।

इसमें खण्ड १६ के बाद कुछ शब्द निविष्ट किये जायें ।

इसके अतिरिक्त, मेरा एक और सुझाव यह है कि एक और खण्ड, २५ क, यानी संशोधन संख्या १२४ होना चाहिये । खण्ड २५ के बाद कुछ शब्द निविष्ट किये जायें ।

मैं इंगलिश कम्पनीज़ एक्ट तथा बकले की प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ रहा था । मुझे पता चला है कि इंगलैण्ड में कई ऐसी कम्पनियां हैं जहां प्राथमिकता अंशधारी होते हैं । किन्तु, कई अनुच्छेदों में इस प्रकार का भी एक खण्ड है कि यदि कम्पनी बन्द की जाय, और उस की संपत्ति इतनी न हो कि अदा की गई पूंजी का निबटारा किया जा सके, तो उस सारे का घाटा सदस्यों से ही पूरा किया जायेगा शेष राशि अनुपात से बट जाय करेंगे । इस से यह सिद्ध होता है कि प्राथमिकता अंशधारियों को सदा उनके अंशों की पूरी अदायगी नहीं की जा सकती । यद्यपि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उस संस्था के नियमानुच्छेद उसके विरुद्ध बता रहे हों, अथवा करार के अन्तर्गत उन्हें और अधिक अधिकार प्राप्त हैं । किन्तु आप सभी स्थितियों में उस ठेके को कोई वरेण्यता अथवा श्रेष्ठता प्रदान नहीं कर सकते । अन्यथा आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते । जिस समय आप व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे और राष्ट्रीयकरण कर रहे होंगे, उस समय उन के ठेकों में हस्तक्षेप होगा । ठेकों में हस्तक्षेप करना ही तो केन्द्रीय बात है जिस का राष्ट्रीयकरण हो सकता है । आपको उन कम्पनियों के दायित्वों, अधिकारों तथा कर्तव्यों में हस्तक्षेप करना चाहिये । अन्यथा, राष्ट्रीयकरण असंभव है । आप तो क्षतिपूर्ति ही कर रहे हैं कम्पनियां तो उन लोगों ने बनाईं, अतः उन्हें व्यवस्था आदि जैसी बातों का अश्वासन दिया जाना चाहिये । नये कम्पनी लॉ के लेखक सर एन० एन० सरकार लिखते हैं :—

> "प्राथमिकता (अधिवरणीय) अंशधारी कम्पनी के बन्द होने की स्थिति में किसी प्रकार के अधिवरणीय अधिकारों को भोग नहीं कर सकते ।
>
> अधिवरण के अधिकार संघ या कम्पनी की नियमावली के अनुसार सीमित होंगे, और लाभांशों का बकाया दिलाने में भी उन्हीं को लागू किया जायेगा ।"

अतः आपने देखा होगा कि नाना प्रकार के अधिवरण अंशधारी हैं, जिनके लिये आप कोई एकरूपता नहीं जता सकते । इस बात को मानते हुए कि भारत इयरवेज़ के अधिवरण अंशधारी उच्चतम श्रेणी के हैं, अथवा उच्चतम विशेषाधिकार प्राप्त हैं, फिर भी संसद् इस बात के कहने में उचित होगी कि "अब मैं सभी संपत्तियों तथा उद्यमों के लिये न्याय्य, उचित, न्यायसंगत क्षतिपूर्ति दे रही हूं, अतः मैं इस के साथ ही यह कहने का अधिकार रखती हूं कि न्यायसंगति होनी चाहिये ।" जिन भिन्न वर्ग के लोगों ने कम्पनी की पूंजी का संचय किया है, उन्हें समान बलिदान करना चाहिये, क्योंकि समानता ही निष्पक्षता है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : इस विधेयक पर काफी वादविवाद हो

चुका है । मैं जानती हूं कि प्रवर समिति में इस विधेयक का काफी सुधार हुआ है । प्रवर समिति में जाने के पूर्व मुख्य रूप से आलोचना के विषय थे एक निगम की आवश्यकता, क्षतिपूर्ति के परिमाण तथा उसके दिये जाने की विधि तथा नये संगठन में कर्मचारियों की स्थिति । प्रवर समिति से लौटने के बाद भी यही आलोचना है ।

जहां तक दो निगमों की समस्या है यह कहा जाता है कि एअर इण्डिया इन्टरनेशनल ने काफी ख्याति प्राप्त कर ली है तथा उस में विघ्न नहीं डालना चाहिये । मैं इससे सहमत हूं । परन्तु क्या यही बात इस प्रकार नहीं हो सकती कि एक निगम के दो विभाग हों जिनमें से एक विदेशी सेवा का सचालन करे दूसरी बात यह कहीं जाती है कि एअर इण्डिया इन्टरनेशनल ने कुछ संविदा किये होंगे जिन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं । एक ही निगम के एक विभाग के रूप में उसे रख कर यह अड़चन भी दूर की जा सकती है । तीसरी बात यह कही जाती है कि जब हम भारत की अनेक चालन एकाइयों को एक करेंगे तो एक बड़े पैमाने पर पुन-संगठन करना होगा जैसे सेवा के निबन्धनों तथा स्थितियों को समान रूप देना तथा इनके कारण अन्तर्राष्ट्रीय संचालन में विघ्न उपस्थित हो सकता है तथा सरकार दो निगम रखना चाहती है । यह तर्क समझ में आने वाला नहीं है तथा हम इससे सहमत नहीं हैं ।

अब प्रश्न यह है कि इस सुझाव में दोष क्या है । जहां तक मुझे ज्ञात है मंत्रिमण्डल की आर्थिक समिति ने एक निगम का प्रस्ताव किया था । योजना आयोग ने भी राय दी है कि एक निगम होने से हम किफ़ायत के साथ संचालन कर सकेंगे । वायु यातायात जांच समिति ने भी इस मसले पर विचार किया और उसका भी यही मत है ।

इस के विपरीत एक निगम होने से सब से पहला लाभ तो यह है कि खर्च कम होगा । माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि दो निगम होने से ६ लाख रुपये प्रतिवर्ष का अधिक व्यय होगा । यदि एक निगम के ही दो विभाग हों तो दोनों विभागों के हानि तथा लाभ एक दूसरे के सामने रक्खे जा सकते हैं तथा सेवा की अर्थव्यवस्था का संतुलन किया जा सकता है । सब से बड़ा लाभ प्रविधिक कर्मचारियों के शिक्षण में होगा । विदेशी सेवा में अच्छे प्रकार का साज़ो सामान होगा, अच्छे तथा विभिन्न प्रकार के वायुयान होंगे तथा नवीन प्रकार के वायुयान होंगे । जो प्रविधिक कर्मचारी विदेशी सेवा में कार्य करेंगे उन को इन सब के संचालन करने का लाभ होगा तथा वह जो देश के अन्दर की सेवाओं में कार्य करेंगे उन्हें यह अवसर नहीं मिलेंगे । यदि एक ही निगम होगा तो यह विभेद नहीं रहेगा ।

दूसरे देशों में भी, जैसे इंगलैण्ड, मत एक ही निगम की ओर हो रहा है । यातायात का परिमाण यदि देखा जाय तो भारत का अनुसूचित कम्पनियों द्वारा संचालित किया जाने वाला यातायात बी० ई० ए० की अपेक्षा बहुत कम है । इस कारण भी दो निगमों का प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है । बी० ई० ए० के वायुयानों के बेड़े में १३० वायु-यान हैं भारत की अनुसूचित कम्पनियों में १०७ हैं । बी० ई० ए० के उडड्यन के घन्टे १,५१,६१७ हैं तथा हमारे १,१९,४०० हैं, फिर भी हम उन की

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

अपेक्षा एक तिहाई से कम यात्रियों को ले जाते हैं तथा हमारे उड्डयन के मील भी एक तिहाई से कम हैं। हमें सन्देह है कि प्रभावशाली स्वार्थों के दबाव में आकर सरकार ने दो निगमों के प्रस्ताव का समर्थन किया है हालां कि यह राजकोष एक प्रकार का भार डालता है। इस बात की पुष्टि इस से भी होती है कि नानशिड्यूल्ड वायु यातायात को वैयक्तिव स्वामियों के हाथ में रहने दिया गया है। आप राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं परन्तु आप निहित स्वार्थों को अप्रसन्न करने से डरते हैं।

निगम को रचना के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह है कि राज्य स्वामित्व के साथ साथ उसके प्रबन्ध में उस से सम्बन्धित हर तत्व का हाथ हो। संचालन करने वाले, कर्मचारीगण तथा यात्रियों सभी का प्रतिनिधित्व उस में होना चाहिये। हम सभी एयर लाइनों का प्रबन्ध कर रहे हैं। उन में से कुछ ऐसी हैं जिन का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो उन स्थानों पर अपनी योग्यता के कारण नहीं हैं परन्तु इस लिये उन्हें किसी का समर्थन प्राप्त है तथा वे किसी के नातेदार हैं। निगम की रचना करते समय क्या ऐसे व्यक्ति ही प्रभावशाली स्थानों में रहगे। मेरा विचार है कि उड्डयन उद्योग के लिये साहस तथा विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आमतौर जिस प्रकार के उद्योगपति इन उद्योगों का नियंत्रण करते हैं उन का मख्य विचार एक राष्ट्रीय उद्योग का विकास न होकर केवल अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। उनकी मनोवृत्ति सट्टेबाजों जैसी है। यदि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में वायु निगम रहा तो कोई उन्नति होने की आशा नहीं है इस लिये मैं आशा करती हूं कि यह एक ऐसा संगठन होगा जिस में अधिकतर पूरे समय कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे। जैसी परिस्थिति उड्डयन उद्योग की इस समय है वही बनी रही तो कोई सुधार नहीं होगा और न कोई उन्नति होगी। इसीलिये मैं चाहती हूं कि कर्मचारियों के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कुछ यात्रियों के प्रतिनिधि अवश्य हों।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह कर्मचारियों के सम्बन्ध में है——उन के सम्बन्ध में जो इस नये प्रबन्ध के कारण विस्थापित हो सकते हैं। यद्यपि आपने खण्ड २० में आश्वासन दिया है कि १ जुलाई १९५२ को जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन को हटाया नहीं जायगा तथा उन को उत्पीड़न से बचाने के लिय आपने प्रवर समिति में भी कुछ सुझाव दिये हैं, फिर भी लोगों को इस सम्बन्ध में बड़ा सन्देह है। जैसा आपने विशाखापट्टम बन्दरगाह के सम्बन्ध में किया है पुनर्संगठन करने के बाद आप बहुत से व्यक्तियों को काम पर से अलग करना चाहेंगे। हो सकता है यह बात आगे चल कर किसी स्थिति के आजाने पर पैदा हो। मंत्री ने कहा है कि छटनी के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई जायगी जिस में एक न्यायाधीश होगा। परन्तु मैं जानना चाहूंगी कि लोगों को निकाले जाने से रोकने के लिये सरकार कौन से उपाय कर रही है। अभी हाल में एअर वेज़ इण्डिया से ४३ व्यक्ति निकाले गये हैं। ऐसी चीजों को रोकने का सरकार क्या उपाय कर रही है?

मेरा तो कहना यह है कि प्रविधिक कर्मचारियों को निकालना ही नहीं चाहिये। टाटा को छोड़ कर इन में से अधिकतर एअर लाइनों पर, कुशल संचालन की दृष्टि से पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं रक्खे गये हैं। उदाहरण के लिये, अधिकतर कम्पनियों में उत्पादन तथा निरीक्षण के अलग अलग कर्मचारी नहीं हैं। यदि उत्पादन तथा निरीक्षण करने वाले कर्मचारी एक ही होंगे तो वह जो कार्य किया जायगा उस की जांच कौन करेगा। बहुत से प्रविधिक कर्मचारियों को ८ घन्टे नहीं वरन् १२ तथा १४ घन्टे कार्य करना पड़ता है। ऐसी दशा में कुशलता का मान क्या होगा। इस सेवा में सुतथ्यता का बड़ा महत्व है क्योंकि आप समझ सकते हैं यदि कार्य ठीक से नहीं किया गया तो कैसा जोखम पैदा हो सकता है प्रविधिक कर्मचारियों की सँख्या अभी भी अपर्याप्त है यदि आप वायुयानों की संख्या उतनी ही रक्खें तो मुझे विश्वास है कि प्रविधि कर्मचारियों की छटनी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उड्डयन उद्योग बढ़ रहा है। १९४६ में १,२५,००० यात्रियों को ले जाया गया १९५१-५२ में ४,३५,००० यात्रियों को। इस लिये बढ़ने वाले उद्योग में इस का प्रबन्ध करना चाहिये। यदि आप प्रविधिक कर्मचारियों को निकाल देंगे तो कुछ वर्ष बाद वे बिल्कुल बेकार हो जायेंगे तथा कार्य के योग्य नहीं रहेंगे। यदि आप उन्हें अभी पूरा कार्य नहीं दे सकते हैं तो उन्हें आधा कार्य देकर कार्य में लगाए रहिये। इंगलैण्ड में भी लड़ाई के बाद ऐसा हुआ था। परन्तु बी० ई० ए० ने यातायात कमान के प्रविधिक कर्मचारियों को काम पर लगा लिया। उन के लिये पूरा कार्य नहीं था। फिर भी उन्हें आधा कार्य देकर काम पर लगे रहने दिया गया, बाद में उन की सब की खपत हो गई और अब वे राष्ट्र के लिये बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को शिक्षा देने में काफी धन व्यय किया गया है।

अब अप्रविधिक कर्मचारियों को लीजिये। यह लोग भी एस अप्रविधिक नहीं हैं जैसा हम समझते हैं क्योंकि यह उद्योग विशेष योग्यता का उद्योग है। मैं जानती हूं कि आप के सामने भी कठिनाई है क्योंकि जब प्रबन्धों का संवलयन किया जाता है तो छटनी करनी ही पड़ती है। परन्तु मैं कुछ सुझाव देती हूं जिस से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नये निगम के आधीन अपने नये प्रकार के कार्य आरंभ कर सकते हैं। उदाहरण के लिये टिकटों के वितरण या माल बुक करने का कार्य अधिकतर व्यक्तिगत एजेन्सियों के हाथ में है। इस की जगह आप अपना बुकिंग तथा यातायात का विभाग अलग खोल सकते हैं जहां यह लोग काम पर लगाये जा सकते हैं। विदेशी फ़र्मों के द्वारा क्रय करने के कारण बहुत साधन कमीशन के रूप में देश के बाहर चला जाता है। आप अपना क्रय विभाग, स्टोर विभाग, तथा इंशोरेन्स विभाग खोल कर इस धन को देश के बाहर जाने से बचा सकते हैं तथा इन व्यक्तियों का काम पर भी लगा सकते हैं। इस लिये कर्मचारियों को निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस के अतिरिक्त आप अन्य शाखा सेवायें खोल सकते हैं। यदि आप हवाई यात्रा के किराये घटा दें तो यह और अधिक जनप्रिय हो जायगा हवा से यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ जायगी तथा आप

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

को कर्मचारियों को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

अभी हम सभी उपसाधकों अथवा अतिरिक्त पुर्जों के लिये दूसरे देशों पर निर्भर हैं । देश का बहुत धन बाहर जा रहा है तथा मूल्यवान विदेशी विनिमय नष्ट हो रहा है । यदि हम इन को बनाना आरम्भ कर दें तो बहुत से छोटे छोटे उद्योग आरम्भ हो सकते हैं जिन में न केवल यह लोग काम में लग सकते हैं वरन् और भी बहुत से बेकार आदमी काम में लगाये जा सकते हैं ।

खण्ड ४० में आप ने श्रम सम्बन्धों का कुछ प्रबन्ध किया है । कर्मचारियों तथा सेवायोजकों के झगड़ों को निपटाने का जो संगठन आपने बनाया है वह पर्याप्त नहीं है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान ब्रिटेन के सिविल एविएशन एक्ट (१९४६) के खण्ड १९ की ओर दिलाना चाहती हूं । उस में इस से अच्छे संगठन का प्रावधान किया गया है ।

सारी बात यह है कि आप राष्ट्रीयकरण भी करना चाहते हैं, फिर भी आप श्रमिकों से घबराते हैं । इस उद्योग में तो जो लोग कार्य करते हैं वे सभी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, राष्ट्र सेवा की भावनाओं से उत्प्रेरित हैं । आप उन पर भरोसा कीजिये और इस नये उद्योग की उन्नति में उन का सहयोग लीजिये । आप उन की प्रशंसा करने में आसमान तक पहुंच जाते हैं, फिर भी आप को उन पर भरोसा नहीं है । आप को चाहिये कि आप प्रजातंत्र के मार्ग पर उन की मज़दूरी संगठन कार्यवाइयों को प्रोत्साहन दें । सेवा के नियम तथा निबन्धन बनाते समय उनका परामर्श लें । आप ने राष्ट्रीयकरण किया है यदि आप एक क़दम और आगे बढ़ावें और कर्मचारियों पर भरोसा करके उन का हर काम में सहयोग प्राप्त करले तो महान सफलता मिलेगी ।

क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में मैं श्री चटर्जी के विचारों का समर्थन करती हूं । वास्तव में यह बड़ा अन्याय होगा यदि कम्पनियों के भागीदारों को कोई मुआवज़ा न मिले और प्रबन्धकों को, जो वैसे भी बहुत धनी हैं, सारा मुआवजा मिल जावे । मैं जानती हूं इस में वैध कठिनाइयां हैं परन्तु श्री चटर्जी ने तो सारे वैध निदर्शन दिये हैं मेरा विश्वास है कि उन पर विचार किया जाय तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है । अतः मेरा निवेदन है कि जब तक इस वर्ग की रक्षा का कोई उपाय न मिल जावे यह विधेयक पारित न किया जाय अन्यथा विनियोग बाजार को भारी धक्का लगेगा । अभी हमें पचंवर्षीय योजना को पूरा करना है । इस के लिये अपेक्षित धन के लिये हम जनता पर निर्भर करते हैं । यदि आप उन का भरोसा नहीं प्राप्त करेंगे तो आप को उनसे धन नहीं मिलेगा । राष्ट्रीयकरण का यह प्रथम महान प्रयास है तथा आप को बिचारे विनियोजक के हितों का विचार रखना चाहिये ।

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमान्, आपने मुझे इस चर्चा के बीच बोलने का जो अवसर दिया है मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। किन्तु मैं अपने को कुछ मोटी बातों तक ही सीमित रखूंगा ।

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जिस पर कि माननीय सदस्य बड़े ग़ौर से विचार

करते रहे हैं यह है कि एक निगम हो अथवा दो हों। बार-बार इस बात की ओर निर्देश किया गया है कि योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है। मैं बतला दूं कि योजना आयोग के निर्देश के सम्बन्ध में दिया गया सारा तर्क ग़लत धारणा पर आधारित है। योजना आयोग ने महज़ यह कहा है कि 'जांच से पता चला है कि यातायात, बोझे और परिचलन की वर्तमान दशाओं के अंतर्गत, विद्यमान वायु यातायात कम्पनियां आर्थिक आधार पर काम नहीं कर सकतीं। मितव्ययता तभी लाई जा सकती है जब कि सब कम्पनियां मिलाकर एक इकाई में संविलित हो जाएं। आंतरिक तथा वैदेशिक चालन का एक संगठन समस्त वर्तमान यातायात को व्यवहृत कर सकता है।'

सरकार द्वारा इस सम्भावना की कभी भी अवहेलना नहीं की गई है कि यह काम एक ही निगम द्वारा चलाया जा सकता है। हमने यह कभी नहीं कहा कि यह कार्य नहीं कर सकता। किन्तु विचारणीय बात यह है कि इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, कम्पनियों के विलय के कारण, जो तमाम उथल-पुथल होगी, क्या वह ऐसे समय में हमारे लिए अहितकर सिद्ध नहीं होगी जब कि हमें विदेशी कम्पनियों से तीव्र प्रतियोगिता करनी पड़ रही है? ऐसी दशा में यह जोखिम उठाना क्या हमारे लिए मुनासिब होगा? योजना आयोग ने जो कहा है उस पर एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ विचार करना होगा। और वह पृष्ठभूमि १६ दिसम्बर १९५२ को दूसरे सदन में हमारे प्रधान मंत्री जी ने भाषण करते हुए पेश की थी। उन्होंने कहा था कि 'जो आयोजन आप आज करते हैं, हो सकता है वह आने वाले कल की दशाओं में पूर्णतया फिट न हो। इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना है। इसलिए यदि आप पंच वर्षीय योजना को आज स्वीकृत कर लें और एक या दो वर्ष पश्चात् कुछ नवीन चीज़ हो जाती है तो हम नवीन धारा के अनुसार सोचने लगते हैं और इसमें तदनुसार परिवर्तन करते हैं। योजना आयोग ढाई वर्ष पश्चात् इस योजना को अंतिम रूप देगा और संसद् के सम्मुख स्वीकृति के लिए रखेगा। फिर भी किसी समय इसके सम्बन्ध में कोई अन्तिमता नहीं हो सकती. इसे परिवर्त्तनशील और प्रगतिशील चीज़ रहना है।'

अतएव मेरा निवेदन है कि यदि परिस्थितियां इसकी अपेक्षा करती हों तो हम बदल सकते हैं। वर्त्तमान परिस्थितियों की मांग क्या है? हम जानते हैं कि यदि हम आंतरिक तथा वाह्य परिचालन को मिला कर एक कर दें तो उतनी कार्यक्षमता से काम नहीं हो सकता। लोग चाहते हैं कि किरायों में कमी हो और वायु-यात्रा सामान्य व्यक्तियों के लिए सम्भव हो तथा अधिक से अधिक संख्या में शहर वायुमार्ग से सम्बन्धित हों तो दोनों परिचालनों को मिलाकर एक कर देना ठीक नहीं होगा।

माननीय सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी ने मंत्रिमण्डल मितव्ययता समिति की सिफारिशों का ज़िक्र किया। मैं बतला दूं कि उनकी सूचना बिल्कुल सही नहीं है। यह प्रश्न कभी उस समिति के विचारार्थ नहीं सौंपा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि सब भारतीय कम्पनियों द्वारा मिलाकर जितने घंटों की उड़ान की जाती है उसकी तुलना में हमारी वैदेशिक उड़ान के घंटे बहुत कम हैं। हम अपनी वैदेशिक सेवा में क्रमिक वृद्धि करने का विचार रखते हैं और उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब

[श्री राज बहादुर]

कि हमारे हवाई जहाज़ सब देशों को जायेंगे। सन् १९५७ तक हमारी वैदेशिक सेवा के हवाई जहाज़ प्रति मास १०,००० घंटे उड़ान किया करेंगे। यातायात के आकड़ों से विदित होता है कि एयर इंडिया इंटरनैशनल विदेशी यात्रियों के साथ अत्यन्त लोकप्रिय रही है। एयर इंडिया इंटरनैशनल के ५० प्रतिशत यात्री अंग्रेज़ और अमरीकी होते हैं। यदि स्तर में थोड़ी सी कमी आयी तो यात्रियों की संख्या घट जाएगी। आजकल २ करोड़ रुपए की आय होती है। यात्रियों में दस प्रतिशत की कमी होने पर २० लाख रुपए की हानि हो जाएगी।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि दो निगम होने पर ६ लाख रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। किन्तु जब हम ६ लाख रुपए की तुलना २० लाख रुपए की हानि से करते हैं तो यह तर्क समाप्त हो जाता है। हम उन लोगों पर दोषारोपण नहीं करते जिनका मत है कि एक निगम होना चाहिए। दोनों ही पक्षों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। किन्तु सब बातों को देखते हुए हम इसी परिणाम पर पहुंचे हैं एक की अपेक्षा दो निगम अधिक लाभपूर्ण सिद्ध होंगे। स्केन्डिनेवियन देशों को छोड़कर जहां के तीन देश मिलकर एक वायु सेवा परिचालित कर रहे हैं, अन्य देशों में सब जगह आंतरिक और वाह्य सेवा अलग-अलग है—इंग्लैन्ड में या फ्रांस में या आस्ट्रेलिया में या कहीं और। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक निगम की अपेक्षा दो निगम होना अच्छा है।

श्री नम्बियार ने श्रमिकों के प्रतिनिधान आदि के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। इस सम्बन्ध मे सरकार की ओर से तथा मन्त्री जी द्वारा काफी कहा जा चुका है। मैं केवल इतना ही और कहूंगा कि श्रम ने जो कार्य किया है उसकी हमारे हृदय में पूरी-पूरी प्रशंसा है और हमें उनके हितों का पूरा-पूरा ध्यान है। यह आरोप लगाया गया कि हमने श्रमिकों के प्रतिनिधियों के विचार नहीं सुने हैं। यह बड़ी गलत बात है। स्वयं माननीय मंत्री जी उनके कुछ प्रतिनिधियों से मिले हैं। प्रवर समिति में उनका दृष्टिकोण सुना गया है और उस पर ध्यान दिया गया है।

यह कहा गया है कि हमें गैर-अनुसूचित सेवाओं को भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सड़क यातायात से तुलना की जा सकती है। कुछ राज्यों में हमने सड़क यातायात को राष्ट्रीकृत कर दिया; किन्तु टैक्सियों के चलने की अनुमति हमने दी, ट्रकों के चलने की अनुमति दी। इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि हमने लोगों को इन चालकों की सेवाएं कहीं अथवा किसी समय प्रयुक्त करने से रोका। हमें उन क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र छोड़ना है जो अभी अविकासित हैं और इसे हम प्राइवेट चालकों पर छोड़ते हैं। इसके साथ साथ हम निश्चय ही निगमों के हितों की रक्षा करेंगे।

इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि विरोधी सदस्यों ने क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है और मुझे आशा है कि वे न्यायोचित क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त भी स्वीकार कर लेंगे।

सभापति महोदय : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं कल माननीय संचरण मंत्री के भाषण को ध्यानपूर्वक सुनती रही तथा उन्हों ने इस विधेयक के समर्थन में जो भी तर्क दिये वह व्यावहारिक तथा बुद्धिमतापूर्ण थे।

मुझे खेद है कि प्रवर समिति के संशोधनों के बावजूद प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों का जोश ठंडा नहीं हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने विमति पत्र दिया है। उन की राय में विधेयक पूर्ण राष्ट्रीयकरण का उपबन्ध नहीं रखता है।

दुर्भाग्यवश आज लोगों की यह आदत बन गई है कि वह किसी चीज़ की व्यवहारिकता तथा अव्यावहारिकता पर ध्यान दिये बिना ही इसे "समाजवाद" तथा "प्राइवेट उद्यम" की दृष्टि से देखने लगते हैं। यह एक अफसोसनाक बात है कि इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करते समय भी पार्टीबाज़ी की भावना से काम लिया गया है। ज़रूरत तो इस बात की थी कि इस विधेयक पर वर्तमान आर्थिक तथ्यों तथा आंकड़ों को दृष्टि में रखते हुए बिना किसी पक्षपात के विचार किया जाता। उन्हें भय है कि इसके दिन-प्रति-दिन के प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप के न होने से कहीं यह निगम पूंजीपतियों की चालों का शिकार न बने। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम वायु यातायात को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में रख कर उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कि हम डाकखानों को चला रहे हैं? किसी भी व्यक्ति की राय में जिसे कि कारबार, उद्योग तथा व्यवसाय का थोड़ा भी ज्ञान हो, यह इस समय नहीं हो सकता है।

ब्रिटेन ने १९२३ में इस विषय की जांच के लिए जो हैम्बलिंग समिति नियुक्त की थी उसने भी सिफारिश की थी कि सरकार को वायु-यातायात उद्योग के दिन-प्रति-दिन के प्रबन्ध कार्य पर प्रत्यक्ष नियंत्रण न रखना चाहिये, सिवाय ऐसी जांच के लिए जो कि निगम के वित्तीय दायित्व के लिए आवश्यक हो। इस सम्बन्ध में लार्ड रीथ ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं।

एक के स्थान पर दो निगम स्थापित करने की प्रस्थापना पर आपत्ति उठाई गई है। मेरे माननीय मित्र यह भूल जाते हैं कि इस तरह से दोनों संस्थाओं में एक प्रकार की लोभप्रद प्रतिद्वंदता बढ़ जायगी। इनके संघटन तथा संचालन विधि के सम्बन्ध में दोनों संस्थाओं का एक स्वतंत्र ढंग होगा। माननीय सदस्यों ने कहा कि दो के स्थान पर एक ही निगम रखने से ऊपरी खर्च कम होगा तथा छे लाख रुपये बच जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि दो निगम रखने से हमें छे लाख रुपये से कहीं अधिक लाभ पहुंचेगा। हमें याद रखना चाहिये कि दोनों संस्थाओं का काम अलग अलग तरह का होगा। उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी तथा उनकी समस्याएं अलग अलग तरह की होंगी। 'एयर इंडिया इंटरनैशनल' को विदेशों में सदैव प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा तथा हम इस में जीत सकते हैं यदि हमें अपने क्षेत्र में प्रतियोगिता निश्चित हो किन्तु निबधि न हो। हमें इस बात का गर्व है कि अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन में हमारे पास उत्तम प्रकार के कार्यकर्ता हैं तथा इस सम्बन्ध में मैं एयर इंडिया इन्टरनैशनल के प्रबन्ध संचालक श्री जे० आर० डी० टाटा को उनकी कोशिशों के लिए बधाई देती हूं। इस सम्बन्ध में उन की सेवाओं को क्यों न अभिज्ञात किया जाये? यह उनकी कोशिशों का ही परिणाम था कि एयर इंडिया इन्टरनैशनल ने कुछेक ही वर्षों में विश्वव्यापक ख्याति प्राप्तत की। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसे किसी अन्य संस्था के साथ मिलाने का निश्चय कभी भी राजनीतिक अथवा भावुकता के आधार पर न किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में केवल टैक्नीकल आधार को

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

ध्यान में रखा जाना चाहिये। यदि हम बुद्धिमता से काम न लेकर केवल भावुकता तथा पक्षपात से काम लेंगे तो 'राष्ट्रीयकरण' की इमारत जो कि हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं धड़ाम से गिर पड़ेगी।

ब्रिटेन का उदाहरण दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह एक तथ्य नहीं है कि ब्रिटिश वायु सेवाओं को इस समय वह दर्जा तथा वह महत्व प्राप्त नहीं होता जो कि उन्हें इस समय है यदि वह विकास के वर्षों में एक ही निगम के शासन प्रबन्ध में होतीं? मैं समझने नहीं पाती हूं कि मेरे मित्र ब्रिटेन के अनुभव से क्यों कुछ सीखना नहीं चाहते हैं।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में कुछेक बातें लाना चाहती हूं। एक बात सरकार की सेवायुक्ति नीति के सम्बन्ध में है। विधेयक में कहा गया है कि भूतपूर्व कम्पनियों की भविष्य-निधियां निगम को हस्तांतरित की जायेंगी। इस से मेरी राय में काफ़ी असन्तोष फैल जायेगा। भविष्य-निधि नियम सामान्यतः किसी कर्मचारी को, जिसे कि किसी अपराध के लिए नौकरी से निकाल दिया गया हो, निधि में कम्पनी के अंशदान की प्राप्ति से प्रतिबाधित करते हैं। यहां ही तो कठिनाई उत्पन्न होगी। निगम द्वारा यह वचन दिया जाना चाहिये कि यदि किसी कर्मचारी को किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया जायगा तो उसे भविष्य निधि की वह सम्पूर्ण धनराशि मिल जायेगी जो कि भूतपूर्व कम्पनी से निगम को हस्तांतरित की गई हो।

विधेयक में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी अथवा अधिकारी नये निगम में काम नहीं करना चाहता हो, उसे एक महीने पहले लिखित रूप में निगम को यह सूचना देनी चाहिये। कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को कैसे यह पहले ही मालूम हो सकेगा कि उन्हें इन इन शर्तों पर काम करना होगा। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगी कि उन्हें इन कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए निश्चित तथा न्याय संगत नियम बनाने चाहियें तथा उन्हें शीघ्र ही सदन पटल पर रख दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय: श्री मेघनाद साहा।

श्री के० सी० सोधिया: श्रीमान् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया तथा आज भी कहा गया। आखिर मैं कब तक प्रतीक्षा करूं?

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर): मैं सभापति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी ऐसे सदस्यों को बोलने की अनुमति दें जो कि ऐसा करने के लिए उत्सुक हैं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य को मालूम है कि सदन की स्वीकृति से यह निश्चित किया गया है कि साढ़े ग्यारह बजे तक सामान्य चर्चा होगी तथा इसके बाद इसे खंड-वार लिया जायगा। मैं बोलने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह कम समय के लिए बोलें जिस से कि दूसरे सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिले।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): वायुयान बनाने का उद्योग पुराना नहीं। इसे केवल ४० वर्ष हुए। यह दिन-प्रति-दिन प्रगति कर रहा है

और हो सकता है कि आज जो वायुयान अच्छा होगा कल वही बेकार होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि इन निगमों में विज्ञान तथा टैकनीकल विज्ञान से सम्बन्धित विषेशज्ञ होने चाहियें। इन से बहुत सहायता मिलेगी। यह इस उद्योग का संगतीकरण कर सकते हैं तथा इन निगमों को आवश्यक टैक्नीकल सहायता देते रहेंगे।

जहां तक विभिन्न कम्पनियों को प्रतिकर देने का सम्बन्ध है यह आवश्यक हैं कि इनके हिसाब किताब की सावधानी से जांच की जाये। कलकत्ता के एक साप्ताहिक में हाल ही में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि एक कम्पनी ने जो कई वर्षों से इस उद्योग में है, दो बीजक पेश किये हैं जिन में सारी बातें तो एक जैसी हैं किन्तु धन राशियां भिन्न २ हैं। एक बीजक में दूसरे बीजक से दुगुनी राशि दी गई है। जिस बीजक में कम राशि दी गई है वह उस अमरीकी समवाय को अदायगी करने के लिए है जिससे कि माल खरीदा गया है। दूसरा बीजक जिस में दुगुनी राशि दी गई है सरकार को पेश किया जायगा। ताकि वह अनुचित रूप से सरकार से अधिक पैसा वसूल कर सके। मुझे मालूम नहीं कि क्या यह समाचार सही है। परन्तु सरकार को सावधान रहने की आवश्यकता है।

मेरे विचार में दो निगमों के स्थान पर एक ही निगम रखा जाना चाहिये था। मुझे आशंका है कि दो निगम केवल इसलिए रखे गए हैं कि इन प्राइवेट मालिकों में से एक को खुश रखने का प्रयत्न किया गया है। यह राष्ट्रीयकरण तथा प्राइवेट क्षेत्र के बीच एक प्रकार की सांठ-गांठ है। मेरे विचार में वायु सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं के रूप में चलाया जाना चाहिये। जनता का हित इसी में है कि पूंजीपतियों का इन संस्थाओं के कार्य-संचालन में कोई हाथ न हो। अभी एक पूंजीपति को श्रद्धांजली पेश की गई है। मैं इस से सहमत नहीं हूं। मुझे याद है कि रात्रि-हवाई-डाक सेवा चालू करने के समय इस कम्पनी का रवैया क्या रहा था, क्योंकि इस से उनकी आमदनी में फर्क आने की आशंका थी। हम चाहते हैं कि वायु सेवाएं लोकप्रिय हों, सस्ती हों, सुरक्षित हों तथा टैकनीकल दृष्टि से उतनी ही अच्छी हों जितनी की अन्य देशों में यह हैं।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : यह विधेयक सरकार की विध्वंसात्मक नीति का ही प्रतीक है। सरकार ने स्वतः एक ऐसी स्थिति खड़ी कर ली है कि उसके लिए अब दो दो निगम बनाना अनिवार्य सा हो रहा है, यद्यपि सदन में और प्रवर समिति में प्रकट किये गए विचारों की दृष्टि में उसे बाह्य तथा आंतरिक दो डिवीजनों वाला एक ही निगम बनाना चाहिए।

पहले एक निगम बनने के पक्षपाती सदस्य भी अब सरकार का रुख देख कर बदल गए हैं और योजना आयोग के इस स्पष्ट निर्णय को भी भूल गए हैं कि एक ही निगम होना चाहिए। राज्याध्यक्ष समिति के विचारों का समर्थन करते हुए मेरा विचार है कि पहले अभिनवीकरण होना चाहिए, फिर राष्ट्रीयकरण। मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हूं, पर चूंकि सरकार राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, मैं तत्सम्बन्धी अपना विचार स्पष्ट किए देता हूं।

विधेयक के ढांचे में ही दो निगमों की व्यवस्था है। यह कोई तर्क नहीं कि यदि बाह्य संगठन को आंतरिक

[श्री जयपाल सिंह]

संगठन से पृथक न रखा गया तो बाह्य वायुचर्या की स्थिति बिगड़ जाएगी। आज भी एयर इंडिया इंटरनेशनल का एक ही संगठन बाह्य तथा आंतरिक दोनों वायूचर्याएं चला रहा है, और इंजीनियरी तथा धारण पोषण के संगठन भी एक ही हैं। यदि टाटा दोनों वायुचर्याएं बड़े दक्ष रूप में चलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो और कोई क्यों नहीं कर सकता। सदन में दो निगमों के समर्थकों द्वारा रखे गये तर्क ही सब कुछ नहीं है, और यदि सरकार समझती है कि वह किसी व्यक्ति के प्रभाव में ऐसा नहीं करने जा रही है, तो मैं उसका अनुमोदन ही करूंगा। मैं तो प्रवर समिति में भी स्पष्ट करता रहा हूं कि यदि एकीकरण की अपेक्षा दो निगमों का बनाना ही अधिक लाभप्रद हो, तो मैं वह भी मानने को तैयार हूं। श्रीमान्, प्रवर-समिति के सभापति के नाते आपको विदित है कि एक संगठित निगम के पक्ष में कितने व्याख्यान दिए गए थे.....

श्री राज बहादुर : एक औचित्य प्रश्न पर। यहां प्रवर-समिति में पक्ष या विपक्ष में हुए भाषण उद्धृत होने जा रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह : माननीय मित्र अभी स्वयं खंडशः और अक्षरशः उद्धरण दे चुके हैं। मैं तो सामान्य बात कह रहा हूं।

श्री राज बहादुर : मैंने नहीं कहा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पुराने सदस्य होने के नाते सदन के नियम जानते हैं। उसी बात के लिए निन्दा करते हुए वही बात आप क्यों कर रहे हैं? तर्कों की गर्मी में लोग आवश्यकता से अधिक कह जाते हैं।

श्री जयपाल सिंह : अच्छा है मेरे माननीय मित्र की गर्मी शांत हो गई।

माननीय मंत्री ने बड़ी कृपा पूर्वक मेरी दो तीन बातें मान लीं। पहले तो एक प्रवर-समिति द्वारा चालकों तथा प्राविधिक और अन्य कर्मचारियों के चुनाव की व्यवस्था है। सभी विद्यमान कर्मचारियों के खपाए जाने की बात माननीय मंत्री बार-बार करते रहे हैं, पर मुझे यह असंभव दीख रहा है और इसमें अभिनवीकरण की अपेक्षा है। हवाई अड्डों या नियंत्रण टावरों के वर्तमान पैमानों को बदल कर और उड़ान के घंटे या धरती या हवा में काम के घंटे कम करके अपेक्षतया अधिक व्यक्ति खपाए जा सकते हैं। सरकार ने बहुतों के प्रशिक्षण में आर्थिक सहायता दी है, आशा है इस बहुमूल्य प्राविधिक तत्व को बरबाद न होने दिया जाएगा।

दूसरे विद्यमान वायु कंपनियों को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में भारी अफवाहें चल रही हैं। हर्ष का विषय है कि एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा रही है। आशा है करदाताओं का पैसा बरबाद माल खरीदने में नष्ट न किया जायगा, और चतुराई से बाद में धुसेड़े गए माल सूची में न रख जायेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी ने अपने एक दूसरे उद्योग में अनावश्यक खरादें वायु कंपनी में हस्तांतरित कर दी हैं। आशा है, उक्त विशेषज्ञ-समिति में उन के संचालनालय का अधिक हाथ रहेगा और ऐसी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।

क्षतिपूर्ति का प्रश्न एक चिन्ता का विषय है। इसका सूत्र ऐसा बनाया जाय कि जिसे लाभ होना चाहिए उसी को लाभ पहुंचे। श्री एन० सी० चटर्जी का सूत्र उत्तम है, और क्षतिपूर्ति का समुचित वितरण करता

है और भारतीय समवाय अधिनियम के खंडों का उल्लंघन भी नहीं करता। शेयरों को अनिवार्य रूप से ग्रहण किया जाय और एकत्र राशि का वितरण इस प्रकार हो कि सामान्य अंशभाजक वंचित न रह जाएं।

अंत में मैं विद्यमान कंपनियों के सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। बिशेषतः एयर इंडिया ने हमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई है। हम टाटा को सारा श्रेय देते समय यह भूल जाते हैं कि वस्तुतः उनके प्रबन्धकों और कर्मचारियों का इस में बहुत हाथ है। लंका का पुल बानरों ने शायद तत्कालीन आदिवासियों ने बनाया था, पर श्रेय राय को मिलता है। अस्तु, यह ठीक है कि टाटा एक प्रख्यात व्यक्ति है, वायु-बिशेषज्ञ हैं, पर हमें उनके कर्मचारियों को नहीं भूल जाना चाहिए। अन्त में अपने माननीय मित्र से मुझे यही कहना है कि उन्होंने मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं दिया, फिर भी मेरी सद्भावनाएं उनके साथ हैं।

श्री मुरारका (गंगानगर-झेझनू) : प्रवर-समिति के प्रतिवेदन में संलग्न विमति-टिप्पणों से प्रत्यक्ष है कि प्रधानतः क्षतिपूर्ति और निगमों की संख्या को लेकर ही मतभेद रहा है। कार्यदक्षता और बचत दो आधारों पर माननीय मंत्री ने दो निगमों का समर्थन किया है। इस देश में ५० से अधिक रेलवे कंपनियां थीं, पर उनको चलाने वाली कंपनियों की संख्या के कारण कार्यदक्षता पर कुछ प्रभाव पड़ता था या नहीं, यह कहना बहुत कठिन है। मैं मानता हूं कि एक की अपेक्षा दो निगम चलाने में कुछ अधिक व्यय करना होगा, पर सरकार इस समस्या पर पूरा विचार कर चुकी है और हमें बचत के विषय में उसकी बात माननी चाहिए। स्वयं इंगलैंड में प्रारम्भ में १९४६ में तीन निगम बनाए गए थ और अब भी दो निगम हैं।

राष्ट्रीयकरण करते समय हमें उचित क्षतिपूर्ति तो देनी ही चाहिए। ग्रहण किए गए प्रत्येक अधिकार और संपत्ति के प्रत्येक भाग की क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। राज्य और पदाधिकारियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप न हो सके, इसीलिए विधि में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। प्रत्येक उद्योग में क्षतिपूर्ति देने का सूत्र एक सा नहीं हो सकता, और स्वयं इंगलैंड में विभिन्न उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होते समय विभिन्न आधारों पर क्षतिपूर्ति दी गई थी। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय परिसंपत् को आय् और उस पर होन वाली वार्षिक आय का गुणा करके गुणनफल क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया था।

दूसरा तरीका स्टाक-विनिमय केन्द्रों में लगाए गए मूल्यों को स्वीकार कर लेना है। यह तरीका सीधा है और उचित अन्दाज लगाता है तथा इंग्लैंड में लोहा-फौलाद-उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय इसे काम में लाया गया था। पर पहले तो यह वर्तमान मूल्य सदा एक सा नहीं रहता और दूसरे स्वामित्व और नियन्त्रण का मूल्य इससे कहीं अधिक होता है। तीसरा तरीका एक न्यायाधिकरण द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद प्रत्येक अंश का मूल्य निश्चित कर देना है। चौथा तरीका परिसंपत् के रूप, उम्र और लागत के अनुसार मूल्य आंकने का है। सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के समय यह तरीका पूर्णतः संतोषजनक सिद्ध हुआ, पर बाजार मूल्य लिखित मूल्य से अधिक हो सकत है। अन्त में बदलने के मूल्य में से अव-क्षयण को निकाल कर सड़क-यातायात की गाड़ियों सम्बन्धी क्षतिपूर्ति प्रदान की गई।

[श्री मुरारका]

इंग्लैंड के बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय पिछले अंश-भाजक के वार्षिक रिटर्न को नई राष्ट्रीकृत उपपत्ति से पोषित करने की रीति अपनाई गई थी । इस तरीके को पर्याप्त माना गया था, बिल्कुल उचित नहीं ।

यह कहना सहज नहीं कि इन में से कौन सा तरीका अपनाया जाए पर अंश-भाजक को उतना तो मिलना ही चाहिये जितना एक स्वेच्छा से खरीदने वाला देता । अनुसूची वाला सूत्र उचित है या नहीं, यह कहना बहुत कठिन है, पर यदि ३६,००० अंशभाजकों में से २५,००० को कुछ न मिले, तो इसे सुधारना चाहिये । आगे होने वाले राष्ट्रीयकरणों में भी यह सूत्र काम आयेगा, अतः अभी अभी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

योजना में रखा गया ३६५ करोड़ का विदेशी विनियोजन देश में आने पर राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध गारन्टी चाहेगा । प्रभावी और पर्याप्त क्षतिपूर्ति भी एक गारन्टी है । बोगोटा सम्मेलन में ऋणों के सम्बन्ध में निश्चित हुआ था कि क्षति-पूर्ति निष्पक्ष न्यायाधिकरण निश्चित करे । फिर साम्यवादी सदस्य अपने विमति-टिप्पण में कहते हैं कि ३½ प्रतिशत ब्याज दर अधिक है । पर किसी भी आधार पर सही, एक बार क्षतिपूर्ति निश्चित हो जाने के बाद सरकार या तो उसे तत्काल चुका दे, या बाजार दर से ब्याज दे । ३½ प्रतिशत बाजार दर से कम भले ही हो, अधिक नहीं है ।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री को देश की मांग पर इस सार्वजनिक उपयोगिता का राष्ट्रीयकरण करने के लिए बधाई देता हूं । इसकी सफलता-असफलता पर राष्ट्रीयकरण के प्रयोग को सफल-असफल कहा जा सकेगा । सफलता मिलने पर सरकार इस दिशा में तेजी से बढ़ सकती है । इस प्रयोग से सिद्ध हो जायेगा कि राष्ट्रीयकरण देश के हित में है या अहित में । मेरी कामना है कि माननीय मंत्री को इस प्रयोग में सफलता मिले ।

श्री जगजीवन राम : एक निगम होना चाहिये अथवा दो इस विषय पर कितने ही सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं । कुछ एक सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि अभी तो एक ही निगम की स्थापना की जाये परन्तु बाद में, यदि आवश्यकता हो तो दो बना लिए जाएं । परन्तु वह यह भूल रहे हैं कि दो निगम रखने की आवश्यकता इस लिए हो रही है कि आन्तरिक भाग में हमें बहुत से कर्मचारियों का वैज्ञानिकन करना है जिस से थोड़ी बहुत अव्यवस्था की सम्भावना हो सकती है । उसे सुल-झाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भाग का पृथक होना सुविधाजनक रहेगा । हां, बाद में काम चल निकलने पर दोनों को मिला कर एक बनाया जा सकता है ।

एक तर्क यह रखा गया है कि एक ही निगम होने से अन्तर्राष्ट्रीय भाग का अतिरिक्त लाभ आन्तरिक भाग की हीनार्थता को ठीक करने के काम आ सकेगा । परन्तु यह तो एक और तर्क इस बात के पक्ष में है कि केवल एक ही निगम नहीं होना चाहिये, नहीं तो आन्तरिक भाग कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा ।

यह भी कहा गया है कि आन्तरिक भाग में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए अवसर मिलना चाहिये

परन्तु यह तो दो निगम होते हुए भी किया जा सकता है। हां, यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जा सकेगी जो वास्तव में योग्य तथा होनहार होंगे।

योजना आयोग की सिपारिशों पर बहुत कुछ जोर डाला गया है। यह ठीक है कि एक समय ऐसा था जब कि योजना आयोग और संचरण मंत्रालय इस बात पर सहमत थे कि एक ही निगम होना चाहिये। और मैंने यह तो कभी भी नहीं कहा कि दोनों सेवायें एक निगम द्वारा नहीं चलाई जा सकतीं। अवश्य चलाई जा सकती हैं। परन्तु सदस्यों को एक बात नहीं भूलनी चाहिये। उस समय जब हमारा यह विचार था कि काम का विस्तार वही रहेगा जो चला आ रहा है। परन्तु बाद में यह निश्चय किया गया कि यातायात तथा रास्तों का विकास किया जाये।

इस निश्चय के उपरान्त हमारी यह धारणा हुई कि अच्छा होगा यदि दो निगमों की रचना की जाये, एक आन्तरिक यातायात के लिए और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय के लिए। योजना आयोग के साथ पूर्ण चर्चा के पश्चात् यह निर्णय किया गया है, उन की किसी मंत्रणा की अवहेलना नहीं की गई है।

कुछ एक सदस्यों ने भारत तथा एयर इंडिया का उदाहरण दिया है। उन्होंने बतलाया है कि किस प्रकार 'भारत' कम्पनी आन्तरिक यानायात सेवा भी चला रही है और एक बाहर की सेवा भी चला रही है, तथा यह कि एयर इन्डिया तथा एअर इन्डिया इन्टरनैशनल आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सेवायें कर रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य इस बात को भूल जाते हैं कि इन कम्पनियों के क्षेत्र बहुत कुछ सीमित हैं जब कि प्रस्तावित निगमों को बहुत बड़े क्षेत्र में काम करना होगा। परन्तु हमारा यह विचार नहीं है कि दोनों निगमों की अलग अलग कर्मशालाएं (वर्कशाप) होंगी और उन में कोई पारस्परिक सहयोग नहीं होगा। इसी लिए तो यह उपबन्ध रखा गया है कि एक के सदस्य दूसरे के सदस्य भी हो सकते हैं।

कई एक सदस्यों को यह वहम हो रहा है कि यह दो निगमों का विचार श्री जे० आर० डी० टाटा को इन में लाने के लिए किया गया है। इस प्रकार की धारणा अनुचित है। यह सत्य है कि यदि हमें श्री जे० आर० डी० टाटा की सेवा अन्तर्राष्ट्रीय निगम के अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हो सके तो हमें उक्त सेवा को चलाने में बड़ी सुविधा रहेगी। (अन्तर्बाधा)

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है अथवा नहीं। राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय मैं तो यही समझता हूं कि राज्य की छत्र-छाया में प्रबन्ध हो और निजी लाभ का तत्व तथा भाव नहीं होने चाहियें। मैं नहीं समझता हूं कि जब मेरे मित्र सभी स्तरों पर श्रम-प्रतिनिधियों के लिए जाने की बात करते हैं तो उन का ठीक अभिप्राय क्या है। मुझे श्रम के साथ व्यवहारिक सहानुभूति है। यह बड़े दुख की बात है कि इस देश में श्रम का शोषण न केवल सेवायोजकों द्वारा ही किया जा रहा है वरन तथाकथित श्रम नेताओं द्वारा भी हो रहा है। दुर्भाग्यवश इस उद्योग में कोई सुसंगठित श्रम भी तो नहीं है। (अन्तर्बाधा) मेरा विचार

[श्री जगजीवन राम]

इस निगम में कोई ऐसा व्यक्ति लेने का है जिसे श्रमिकों के साथ पूर्ण सहानुभूति हो, जो उनके लिए काम कर चुका हो और जो उनकी समस्याओं को भली भांति समझता हो । परन्तु यह अनिवार्य नहीं कि वह श्रमिकों का प्रतिनिधि भी हो । कहा गया ह कि यह केवल आंशिक राष्ट्रीयकरण ह क्योंकि सभी अनानुसूचित सेवाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है । परन्तु विधेयक में ऐसी भी तो कोई चीज नहीं है जो हमारे लिए इस देश की सभी अनानुसूचित सेवाओं को सम्भाल लेने में बाधक हो । यह सब काम धीरे धीरे ही हो सकेगा क्योंकि यह एक विशाल देश है । इस विषय में श्री नम्बियार द्वारा व्यक्त की गई शंकाएं सर्वथा निराधार हैं ।

यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि स्पष्ट आश्वासन इस आशय का दिया जाय कि कम्पनियों के वर्तमान कर्मचारियों को कभी नहीं हटाया जाएगा, इस विषय में मैं पहले कही गई बातों को दुहराना चाहता हूं । सदैव वैज्ञानिकन के समय कुछ न कुछ कर्मचारी अनावश्यक पाए जाते हैं । इन्हें खपाने के लिए हम निगम की गतिविधियों का विस्तार कर सकते हैं, अर्थात् नए रास्ते निकाल सकते हैं, कर्मशालाओं के काम को बढ़ाया जा सकता है जिस से अतिरिक्त टेक्निकल कर्मचारियों के लिए काम की व्यवस्था हो सके । मुझ आशा है कि इस प्रकार के सभी लोगों के सेवायोजन की व्यवस्था की जा सकेगी । जहां तक ऐसे कर्मचारियों का सम्बन्ध है जो टेक्निकल नहीं हैं यह कहना कठिन है कि सभी को इन निगमों में काम मिल सकेगा परन्तु हम उन के लिए कुछ न कुछ प्रबन्ध अवश्य करेंगे, अर्थात् उन्हें कहीं न कहीं सेवायुक्त करवाने का प्रयत्न किया जाएगा ।

श्री जोशिम अल्वा : आप को ऐसे कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए अतः उन्हें काम से हटाना नहीं चाहिए ।

श्री जोशिम अल्वा : आपने अपने विधेयक के उपबन्ध बृटिश अधिनियम से नकल किए हैं ।

श्री जगजीवन राम : मुझे इस प्रकार के उद्धरण में विश्वास नहीं है । मैं ने स्पष्ट कह दिया हुआ है कि जहां तक टेक्निकल अथवा अन्य कर्मचारियों का सम्बन्ध है हम उन्हें लगाए रखने के लिए निगम की गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे । टेक्निकल कर्मचारी तो सभी रखे जा सकेंगे सिवाए ऐसे व्यक्तियों के जो अयोग्य समझे जाएंगे । जहां तक सामान्य अथवा नान-टेक्निकल कर्मचारियों का सम्बन्ध है कई एक सुझाव हमारे सामने आ चुके हैं । यदि उन्हें इस निगम में न खपाया जा सका तो अन्य सरकारी विभागों में खपाने का प्रयत्न किया जाएगा ।

श्री दामोदर मेनन : क्या यह आश्वासन उन कर्मचारियों को भी लागू होगा जो इस समय हटाए जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : जून १९५२ के पश्चात नियुक्त किए गए कर्मचारियो के सम्बन्ध में मैं कोई पक्का आश्वासन नहीं दे सकता । तो भी उन व्यक्तियों के प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जिन की नियुक्ति सद्भाव पर आधारित है ।

अतिरिक्त पुर्ज़ों तथा अन्य सामान के बारे में श्री जयपाल सिंह द्वारा यह चिन्ता प्रकट की गई है कि कहीं निगमों को वर्तमान कम्पनियों का बेकार सामान सम्भालना न पड़ जाए। परन्तु इस प्रकार का धोका आसानी से नहीं हो सकता। हमारे विशेषज्ञ इन चीज़ों को भली भांति समझते हैं अतः इस विषय में पूरी सावधानी से काम लिया जाएगा।

अब रहा क्षतिपूर्ति का प्रश्न। मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि साधारण अंशधारी के हितों की रक्षा की जाए, परन्तु इस विषय में 'भारत' की स्थिति कुछ विचित्र सी है और हम अभी तक किसी उचित निर्णय तक नहीं पहुंच पाए हैं। एक आशा की झलक अवश्य पाई जाती है और वह यह कि 'भारत' कम्पनी की गतिविधियां वायु-यातायात तक ही सीमित नहीं हैं; अतः अंशधारी यदि चाहें तो बहुमत से यह निर्णय कर सकते हैं कि क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के उपरान्त कम्पनी को चाहिए कि अपने आप को समाप्त न करते हुए अन्य गतिविधियों में लग जाए। यह सुझाव भी दिया गया है कि अंशों को अनिवार्य रूप से खरीद लिया जाए, परन्तु यद्यपि साधारण अंश तो बाज़ार भाव पर खरीदे जा सकते हैं पूर्वाधिकार अंशों के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम इस बात पर भी विचार कर चुके हैं कि क्या क्षतिपूर्ति की राशि का वितरण साधारण अंशधारियों तथा पूर्वाधिकार-अंशधारियों में अनुपाततः कर सकते हैं। परन्तु इस समस्या का भी अभी तो उचित समाधान नहीं हो सका है। हां यदि 'भारत' के साधारण अंशधारी साहस से काम लेते हुए बहुमत से कम्पनी के अस्तित्व को बनाए रखने का निर्णय करलें तो उन के हित सर्वथा सुरक्षित रह सकते हैं।

जहां तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न है हम ने सभी बातों पर पर्याप्त विचार के पश्चात् वह सूत्र (फारमूला) निर्धारित किया है जो अनुसूची में दिया गया है। इन सभी कम्पनियों के अंशधारी प्रायः मध्यम श्रेणी के लोग हैं और हम ने उन के साथ यथासम्भव न्याय का व्यवहार करने का प्रयत्न किया है

मैं माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों तथा इस के उद्देश्य पर विचार करें। मैं अब भी ऐसा समझ रहा हूं कि हम एक भारी उत्तरदायित्व अपने सिर पर उठाने जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं राष्ट्रीयकरण का बड़ी हद तक समर्थक हूं तथा इस विधेयक और इस योजना को पारित करवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता रहा हूं। परन्तु जैसे जैसे इस उत्तरदायित्व को सम्भालने का समय निकट आ रहा है मुझे इस के भारीपन का अनुभव हो रहा है, विशेषकर इस लिए कि हम एक ऐसे उद्योग को हाथ में लेन चले हैं जो इस समय तक आर्थिक दृष्टिकोण से सफल सिद्ध नहीं हुआ है। निस्संदेह हमारे युवकों ने चाहे वह टेक्निकल हों अथवा नान टेक्निकल अपने कर्म-कौशल का प्रमाण दे दिया है। निस्संदेह हमारी आन्तरिक तथा बाह्य वायु-सेवाओं का रिकार्ड इतना उत्तम है कि हमें उस पर गौरव होना चाहिए। परन्तु इस उद्योग का आर्थिक अवस्थान कुछ चिन्ताजनक सा है। अतः मैं सदन के सभी पक्षों से अनुरोध करता हूं कि वह हमें अपना सहयोग प्रदान करें।

विचार प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर स्वीकृत हुआ।

[श्री जगजीवन राम]

तद्पश्चात् खंड २ को लिया गया। इस पर निम्न संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुन्टूर): मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि :

खंड २ में से भाग (३) को निकाल दिया जाय।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि :

खंड २ में,—

(१) भाग (३) में

"either of" (या का) शब्दों को निकाल दिया जाय; तथा

(२) भाग (३) में तथा विधेयक में सर्वथा,—

"निगमों" के स्थान में "निगम" आदिष्ट किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

श्री दामोदर मेनन : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि :

खंड २ में,

भाग (४) के स्थान में निम्न भाग (४) आदिष्ट किया जाय:

'(iv) "Corporation" means "Indian Airlines" established under section 3.'

['(४) "निगम" का अर्थ है "भारतीय वायु-मार्ग धारा" ३ के अन्तर्गत स्थापित']

उक्त प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): हमने बारंबार कहा है कि दो निगमों के स्थान पर एक ही निगम बनाया जाए, पर मंत्री जी कहते हैं कि गुणों की दृष्टि से दो निगम बनाए जा रहे हैं, यद्यपि वे उन गुणों को स्पष्ट नहीं कर सके हैं। फिर निगमों के संचालन के लिए इन कंपनियों के कुछ प्रबंधक एजेंटों को रखा जा रहा है। सरकारी अर्थ-सहायता मिलने पर भी और मशीनें और पुरजे सस्ते भाव में मिलने पर भी ये प्रबंधक इन कंपनियों को ठीक से न चला सके, यद्यपि गत चार-पांच वर्षों में हवाई यात्रा में निरतर वृद्धि हुई है। दो निगमों के खड़ किए जाने का कारण भी यही सुना जा रहा है कि सरकार इन सभी प्रबंधकों को खपाना चाहती है, और यह भी सुना गया है कि जे० आर० डी० टाटा को एक निगम का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों और असफल सिद्ध हुए इन प्रबंधकों को इस प्रकार रखने से राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य ही चौपट हो जाएगा। इन प्रबन्धकों का पिछला इतिहास हमारे सामने है। निगम में केवल कार्यदक्ष व्यक्ति ही होने चाहिए। अतः दो निगमों का रखना ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो निगमों के पक्ष विपक्ष में सदन में बहुत कुछ कहा जा चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है बार बार वही बातें दुहराने से कोई लाभ नहीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा कथन यही है कि एक ही निगम और एक ही नियंत्रण होना चाहिए और दुहरे संचालन क्षेत्र और दुहरे नियंत्रण रखना इस राष्ट्रीकृत उद्योग के लिए घातक सिद्ध होगा। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि दो निगम वाले

प्रतिक्रियावादी विचार को छोड़कर एक ही निगम बनाएं ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : खंड़ २ (४) एक परिभाषा वाला खंड है और दो निगमों की बात करने वाला मुख्य खंड तीसरा खंड है । हम परिभाषा को छोड़ दें, तो शायद खंड ३ की चर्चा में एक निगम की बात कहना ठीक नहीं होगा ।

श्री के० के० बसु : हम खंड २ और ३ को साथ साथ ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अभिप्राय यह नहीं कि माननीय सदस्यों पर कुछ रोक है, पर बार बार वही बातें न दुहराई जाएं ।

श्री दामोदर मेनन : इस परिभाषा खंड में मैं यह संशोधन रख रहा हूं कि 'निगमों' के स्थान पर 'निगम' पढ़ा जाए। मत ले लिए जाने पर क्या खंड ३ सम्बन्धी संशोधन व्यर्थ हो जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक निगम का निर्णय हो जाता है, तो पीछे से तदनुसार सब कुछ सुधारना होगा और इस विषय के खंड ३ सम्बन्धी संशोधन व्यर्थ हो जाएंगे।

श्री राज बहादुर : संशोधन रखे जा चुके हैं और भाषण दिए जा चुके हैं, अब इस पर विचार करना ही होंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहला खंड निपटा लें । नियम यह है कि इस खंड के पारित हो जाने के बाद इसके अनुसार न होने पर अगले खंड व्यर्थ हो जाएंगे अत: माननीय सदस्य दोनों के सम्बन्ध में एक साथ बोल सकते हैं ।

श्री दामोदर मेनन : मैं यह संशोधन रख चुका हूं कि खंड २ भाग (४) में 'निगम' का अर्थ धारा ३ के अधीन स्थापित "भारतीय वायु कम्पनियां" है ।

श्री नम्बियार: अपने भाषण में माननीय मंत्री ने 'स्थान भ्रष्ट' हो जाने के सम्बन्ध में कुछ संदेह प्रकट किया था क्या वह ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं, जिससे मजदूर स्थान-भ्रष्ट हो जाएं या असंतुष्ट होकर हड़ताल करें ? क्या बड़े पैमाने पर कोई छंटनी होने वाली है। मुझे आज मिले हुए इस तार में कहा गया ह कि विधेयक के खंड २० के अधीन ४३ व्यक्तियों को नोटिस दे दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसे संगत है ?

श्री नम्बियार : बात यही है कि दो निगम बनाते समय माननीय मंत्री स्वयं 'स्थान-भ्रष्ट' की बात कर रहे हैं और सभी कर्मचारियों के खपाए जाने के सम्बन्ध में उनका आश्वासन भी अस्पष्ट है । हम चाहते हैं कि बचत की जाए और हवाई यात्रा सस्ती बनाई जाए पर साथ ही उसका इतना विस्तार भी होना चाहिए कि सभी वर्तमान कर्मचारियों को खपाया जा सके । तभी राष्ट्रीयकरण सफल कहा जा सकेगा अन्यथा यह जनता के हित में न होकर कुछ गिने-चुने व्यक्तिओं के ही हित में होगा । माननीय मंत्री यह बात निश्चित रूप से देख लें कि उद्योग का इतना विस्तार होगा कि छंटनी भी न होगी और जनसाधारण को लाभ भी पहुंचेगा अन्यथा यह दो निगम बनाना जनसाधारण के हितों के लिए खतरनाक सिद्ध होगा।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : माननीय मंत्री ने तो इतना भी कह दिया है कि कुछ वर्ष तक दो निगमों की व्यवस्था देखने के बाद वह इस पर पुनर्विचार करेंगे, पर यदि विधेयक में एक ही निगम रखा गया होता, तो भी मैं तो दो निगमों का सुझाव देता। दोनों निगमों के कार्यक्षेत्र पृथक् हैं। वायुचर्या के विस्तार और उसकी सुरक्षा का प्रश्न अन्य बातों के साथ किराये-भाड़ों के निर्धारण पर भी निर्भर होगा और दो निगम पृथक्-पृथक् परिस्थितियों के अनुसार इस प्रश्न पर पृथक्-पृथक् विचार कर सकगे। राज्याध्यक्ष समिति ने किराये के निर्धारण के चार तत्व बताय हैं। पहला तो संचालन की लागत है जो दोनों दशाओं में एक सा है। दूसरा यात्रियों की क्षमता है, जो दोनों क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् होगी। तीसरा वायुचर्या के विस्तार की आवश्यकता है और आंतरिक वायुचर्याओं में हमारा एक प्रभुत्व होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय वायुचर्याओं से उन का विशेष सम्बन्ध न होगा, पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें भयानक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। इन में से कुछ वही देश होंगे, जहाँ से हम विमान मंगाते हैं। चौथा तत्व धरती के यातायात की किराया-दरें हैं; देश में तो हमें अपनी रेलों का ध्यान रखना होगा, पर विदेशी पोत-कम्पनियों के विषय में ऐसी बात न होगी। इस उदाहरण से दो निगमों का बनाना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। एक निगम का पक्ष लेने वालों का यह तर्क उतना आधारपूर्ण नहीं है कि एक निगम रखने से बचत होगी, या व्यक्तियों को दोनों वायुचर्याओं में अदला बदला जा सकेगा।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : इस संशोधन का समर्थन करते हुए मैं माननीय मित्र श्री गांधी को बता दूं कि 'टाटा सन्स लिमिटेड' की कई कम्पनियां ऐसी हैं, जो एक ही संगठन के अधीन देश और विदेश दोनों स्थानों पर व्यापार करती हैं और भारत में काम कर लेने के बाद उपयुक्त व्यक्तियों को एजेंट के रूप में लन्दन या न्यूयार्क आदि भेज दिया जाता है। अतः श्री गांधी के इस तर्क पर हंसी आती है।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुन्टूर) : यह विधेयक राष्ट्रीयकरण करने जा रहा है, पर पूर्ण राष्ट्रीयकरण तभी हो सकेगा, जब भूतपूर्व प्रबन्धकों को न लिया जाए, इसी कारण मैंने संशोधन संख्या ७५ रखा है।

श्री के० के० बसु : हमने विधेयक के इस सिद्धान्त को मान लिया है कि कार्यदक्षता बढ़ाने और बचत करने के लिए सरकार इस उद्योग को अपने हाथ में ले ले। पर दो निगमों का प्रतिपादन वह रंचमात्र भी नहीं कर सकी है। किसी एक व्यक्ति के ही कारण, भले ही वह व्यक्ति बड़ा हो, कोई उद्योग कार्यदक्ष नहीं हो जाता। माननीय मंत्री अर्थशास्त्र के ग्रंथों में उत्पादन शक्तियों के विकाश में उद्योगपतियों के योगदान का इतिहास पढ़ें, तो उनके निकट यह स्पष्ट हो जाएगा।

एक निगम बनने से उनके ही शब्दों में ६ लाख रुपयों की बचत होगी। पर उनका कहना है कि उस से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय आय कम हो जायेगी। यदि माननीय मंत्री यह नहीं मानते कि इन सारे उपक्रमों का अधिग्रहण करने से कार्य-क्षमता में कोई कमी आ जाएगी, तो फिर विदेशी यातायात सम्बन्धी आय के घटने की आशंका क्यों की जाए? सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में काम

करने वाले व्यक्तियों को अलग-अलग मानती है और उन का विभाजन चाहती है, पर सौभाग्य से हमारे कर्मचारी बड़े ही कार्यदक्ष हैं। सरकार दो निगमों की आवश्यकता सिद्ध नहीं कर सकी है। और दो निगम न बनने से एकीकरण में अड़चन होगी, यह धारणा भी निर्मूल है। आशा है, सरकार इस विचार को छोड़ देगी।

श्री राज बहादुर : इस समस्या पर पूरा-पूरा विचार हो चुका है। अब इस पर मत ले लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड २ पर रखे गये एक निगम सम्बन्धी सभी संशोधनों—संशोधन संख्या ७५, ११० और १११—को सदन के समक्ष मतदान के लिए रखे देता हूं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक का अंग बना लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब एक आधे घंटे की चर्चा होगी।

चीन के साथ व्यापार पर लगे हुए प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में चर्चा

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : गत महीने की १४ तारीख को मैं ने कुछ देशों द्वारा चीन के साथ व्यापार पर लगाए गए प्रतिबन्धों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। किन्तु उस समय माननीय प्रधान मंत्री ने जो उत्तर दिए उनसे प्रश्नों के अंगोपांगों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ। इस लिए मैं ने आप से उन्हीं प्रश्नों की अल्प चर्चा करने की अनुमति मांगी।

उस समय मैं ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की कुछ कार्यवाहियों का निर्देश किया था। माननीय प्रधान मंत्री ने बताया था कि इस विषय में इंगलिस्तान ने हमसे कोई परामर्श नहीं किया है। किन्तु कल उन्होंने किसी अन्य स्थान कहा कि वस्तुतः इंगलिस्तान ने इस विषय में हम से पृच्छा की थी परन्तु बाद में इस पर अधिक ज़ोर नहीं दिया गया और हमारी ओर से इस विषय में औपचारिक उत्तर भेजा जा चुका है। राष्ट्रमंडल के देशों के आपसी परामर्श के बारे में गोपनीयता की कुछ प्रथा अवश्य होगी इसलिए मैं सरकार द्वारा भेजे गए उत्तर के शब्द जानना नहीं चाहता हूं। किन्तु मैं कुछ बातों के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

निकट भांवष्य में हमारे चीन के साथ के व्यापार का स्वरूप क्या होगा? कल माननीय प्रधान मंत्री ने अन्य सदन में बताया कि गत कई वर्षों में भारत तथा चीन के बीच अधिक व्यापार नहीं हुआ। सन १९५२ में चीन के साथ हुए आयात निर्यातों की राशियां सन १९५१ से भी गिर गई हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस व्यापार को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इंगलिस्तान तथा राष्ट्रमंडल के साथ हमारा सम्बन्ध होने के कारण चीन के साथ के व्यापार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इंगलिस्तान ने एक आदेश जारी करके ८३ प्रकार के वस्तुओं को जहाज़ द्वारा चीन में ले जाने पर रोक लगाया है। यह आदेश अमरीकी 'युद्ध अधिनियम' से मिलता जलता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय में

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

अपनी नीति स्पष्ट कर दें। इसी संदर्भ में मैं श्री लंका की ओर निर्देश करना चाहता हूं। श्री लंका का राष्ट्रमंडल के साथ सम्बन्ध होने के कारण उसे चीन को रबर तथा अन्य सामरिक उपयोग की वस्तुएं कोलंबो के रास्ते से भेजी जाने पर रोक लगाना पड़ा है। श्री लंका के वैदेशिक कार्य सचिव ने यह अवश्य कहा है कि चीन के साथ श्री लंका का जो व्यापार विषय करार हुआ है उसके अनुसार चीन को चावल, रबड़ तथा अन्य वस्तुएं खुले आम भेजी जाएंगी। हम भी अपनी सरकार से जानना चाहते हैं कि अनिर्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी की ठगी नहीं चलने दी जाएगी।

तीसरी बात मैं भारत तथा चीन के बीच व्यापार विषयक करार की संभावनाओं के बारे में उठाना चाहता हूं। पाकिस्तान तथा चीन के बीच अभी अभी चावल एवं रुई के अदलाबदली का करार हुआ है।

दुनिया के तथा एशिया के व्यवहारों में अमरीका के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में हम चिन्तित हैं।

चौथी बात मैं कालिम्पांग के बाज़ार के ह्रास के बारे में उठाना चाहता हूं। समाचार पत्रों की खबरों से पता चलता है कि भारत सरकार द्वारा तिब्बत में लोहा तथा इस्पात भेजने पर रोक लगा दी जाने के कारण कालिम्पांग के व्यापारियों में घबराहट फैल गई है। इसके फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के अनिर्बन्ध प्रभाव में भी रुकावट पैदा हो जाने का धोखा है। लहासा की ओर जाने वाले गैंगटोक-चाटूंग रास्ते की चौकी पर भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को कोई पूर्व सूचना दिये बिना उनका माल रोके जाने की भी खबर है। मैं सरकार से वस्तु-स्थिति जानना चाहता हूं।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीन के साथ व्यापार करने के लिए हमारे पास जहाज़ उपलब्ध हैं? सब लोग जानते हैं कि हमारे वैदेशिक व्यापार के लिए हमें इंगलिस्तान तथा अमरीका के जहाज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं यदि हमारे कुछ जहाज़ चीन के साथ व्यापार करने में लगे हुए हों। किन्तु मुझे भय है कि हमारा वैदेशिक व्यापार इंगलिस्तान तथा अमरीका के जहाज़ों के हाथों में इस कदर फंसा हुआ है कि हमारी इच्छा के बावजूद हम चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ा नहीं सकेंगे।

इंगलिस्तान की सरकार ने श्री ईडन के द्वारा यह घोषित किया है कि चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के हेतु वह अपने मित्रों पर अधिकतम दबाव डालने की कोशिश करेगी। अतः हम इस विषय में अपनी सरकार की स्पष्ट भूमिका जानना चाहते हैं।

श्री जोशिम अल्वा (कनारा) : हम ने चीन के साथ व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। किन्तु ऐसी अज्ञात एवं अप्रत्यक्ष रुकावटें हो सकती हैं जिनका माननीय प्रधान मंत्री को भी पता न हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कालिम्पांग व्यापार-मार्ग में कोई रुकावटें डाली गई थीं।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि अगले कई वर्ष तक हमारे पास १०००० टन का अतिरिक्त रबड़-स्कंध रहेगा? श्री लंका ने चीन के साथ जो अदलाबदली का करार किया है उसे देखते हुए क्या सरकार को प्रतीत हुआ

है कि हमें चीन में लन्दन से भी अधिक आकर्षक दर मिलने की गुंजाइश है। यदि हां, तो क्या सरकार चीन के साथ कोई लाभदायक करार करने के लिये तैयार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्य श्री मुकर्जी ने इतनी बातें बताई हैं कि उन सभी का पर्याप्त रूप से यहां उत्तर नहीं दिया जा सकता।

पहली बात इस विषय में है कि निकट भविष्य में चीन के साथ किस नमूने पर हमारा व्यापार होगा, और जहां तक चीन के साथ हमारे व्यापार का सम्बन्ध है, ब्रिटेन तथा राष्ट्रसंघ के साथ सम्बन्ध होने के कारण उस व्यापार-सम्बन्ध की क्या प्रतिक्रियायें होंगी। मैंने यह अनुभव किया कि माननीय प्रधान मंत्री ने दो प्रश्नों के उत्तर में, एक यहां इस सदन म और दूसरा दूसरे सदन में, इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है। हमारे आयात तथा निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में जो नीति है वह बहुपक्षीय है तथा पूर्णरूप से भेद-विहीन है; और हम किसी भी देश के विरुद्ध कोई भेद नहीं बरतना चाहते—भले ही इस बात की कोई चिन्ता नहीं कि अन्य कर्तव्य क्या हैं तथा और कोई देश क्या करता है। हमारी व्यापार-नीति का यही मुख्य आधार है।

उन्होंने जो दूसरा प्रश्न उठाया वह कुछ ऐसा है जो उन्होंने ब्रिटिश नीति सम्बन्धी पत्रों में पाया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं। किन्तु प्रधान मंत्री ने इस बात का पष्टीकरण किया है कि राष्ट्रसंघ में हमारी सदस्यता का यह अर्थ नहीं है कि हम ब्रिटिश विदेशी अथवा वाणिज्यिक नीति के नमूने पर चलते हैं, और इस मामले में भारत सरकार के उद्देश्य सुप्रसिद्ध हैं। जहां तक चीन देश तथा भारत के सम्बन्धों का प्रश्न है, वह हमारा मित्र है। हम इस बात की आज्ञा नहीं देंगे कि इस देश की ओर से व्यापार करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से चीन के विरुद्ध कोई एसी भेद-नीति बरते, भले ही ये व्यक्ति हमारे झंडे के नीचे काम करने वाले भारतीय अथवा विदेशी हों। मेरे विचार में इस समस्या के ऐसे पहलू पर और विचार करना ठीक नहीं है।

इस के पश्चात यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि चीन के साथ हमारा किस प्रकार का व्यापार होगा। माननीय सदस्य ने विगत वर्षों के कुछ आंकड़े उद्धृत किये, और यह भी बतलाया कि व्यापार कम हो गया है। यह ठीक है कि व्यापार कम हो गया है, और मेरे पास भी इसके आंकड़े हैं। यदि मैं चीन से १९४८-४९ में आयात की गई उन तीन मुख्य वस्तुओं के आंकड़े लूं तो वे इस प्रकार होंगे, १० लाख रुपये की सूती वस्तुयें, १२ लाख रुपये का अनिर्मित रेशम तथा रेशम के कोये, और ४६ लाख रुपये के रेशमी वस्त्र और इस सारे का कुल जोड़ १२१ लाख रुपये था। हम जो भी रेशम की वस्तुयें बनाते हैं, उनको अब वहां से मंगाने पर पूरा पूरा प्रतिबन्ध लगाया है। चीन पर ही इस चीज़ की रोक नहीं, अपितु जापान, इटली तथा अन्य रेशम बनाने वाले देशों से आयात किये जाने वाली रेशमी वस्तुओं पर यह रोक जारी है। अभी हाल में ही हमने एक विशेष अभ्यंश के आयात की आज्ञा दी है। १९४९ तक तो सूती निर्मित वस्तुयें खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अधीन थीं, किन्तु

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

१९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पूरी तरह से इन पर रोक लगाई गई थी । अब हमने चूंकि शुल्क बढ़ा दिये हैं, अतः हम ने थोड़ी थोड़ी मात्राओं का आयात खुला छोड़ दिया है । इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि व्यापार चल पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इस बात का यह एक मुख्य कारण है, जिसके परिणामस्वरूप इन तीन वस्तुओं में व्यापार कम पड़ गया है । और इसी के कारण हमें १९४८ ४९ मे चीन से १२१ लाख रूपये की बहुत बड़ी रकम मिली । इसके बाद हमने जो कुछ भी व्यापार किया वह सरकारी स्तर की खरीद में ही समा गया । जनवरी १९५१ में हमने १६,५०० टन भारतीय जूट के बदले में ५०,००० टन चीनी चावल खरीदे थे । अप्रैल १९५१ में नगद रुपया देकर ५०,००० टन मिलो खरीदा गया था । मई १९५१ में नगद रुपया देकर १६,५०० टन चावल खरीदे गए थे और इसी महीने में १४,००० टन जूट की वस्तुओं के बदले में ४ लाख टन मिलो खरीदा गया था । मई १९५२ में, नगद रुपया देकर १ लाख टन चावल खरीदा गया था । और अक्टूबर, १९५२ में नगद रुपया देकर ५०,००० टन चावल खरीदा गया था । सरकारी स्तर के आधार पर हमारे व्यापार का यही नमूना है ।

एक और भी तथ्य है, जिसे संभवतः मेरे मान्य मित्र नहीं जानते; और वह यह है कि व्यापार करने वाले देशों की पारस्परिक अर्थनीति के अनुसार ही व्यापार के परिमाण का विकास होता है, और इन्हीं के बीच व्यापार बढ़ने लग जाता है। दुर्भाग्य है कि चीनी अर्थनीति और भारतीय अर्थनीति एक दूसरे के पूरक नहीं, अपितु समानान्तर हैं । और समानान्तर अर्थनीतियों में वस्तुओं के विनिमय के क्षेत्र सीमित रहते हैं । मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि पेकिंग में स्थित हमारा दूतावास इन दो देशों के बीच व्यापार-सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्न करने में व्यस्त है । और उन्होंने दिनांक १४ जनवरी, १९५२ का दिये हुये अपने तार में हमें इस बात का इशारा दिया है कि चीन हम से क्या आयात करना चाहेगा—यानि उन्होंने उन वस्तुओं के नाम इस प्रकार गिनाये हैं :—लोहे की सलाखें, इस्पात के पट्टे, अरगनी या पटरियां, पाइप या नालियां, तार के रस्से, कड़ियां, कोमल इस्पात के कोण, जस्ती परतदार सादा तथा नालीदार लौहे की चादरें, काली और जस्ती परतदार लोहे की नालियां, अलमीनियम के लट्ठे, कार्बोलिक एसिड, लाह (शल्क-लाक्षा), कैलशियम सूपर-फास्फेट (चूर्णातु अधिभास्वीय), नील की पिट्ठी, काली मिर्च, काफी, सीसे की नालियां तथा सीसे की चादरें, सीसा, सुरमा, मिश्रातु, तथा कोको । इसी तार में उन्होंने यह भी कहा कि चीन भारत को जो वस्तुयें निर्यात करने का इच्छुक है वे इस प्रकार हैं: टंग (कन्दगर्भिण्याति) तेल, रेशमी थान तथा वस्तुयें, कच्चा रेशम, तेजपात, कड़े वाल, मेन्थाल, पिपरमिन्ट का तेल, चेस्टनट (एक प्रकार के अखरोट), सुरमा, भैंसों की खालें, सोयाबीन, हरी सोयाबीन, मक्की, सब्जियां, दवाइयां, ज़रदोज़ी तथा चटाइयां । ऐसा हुआ कि जिस प्रकार की वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता थी, वे बहुत कम थीं । हो सकता है कि उनमें से कई एक वस्तुयें छल-कपट के बताने और किसी काम

के लिये हों, और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम इसलिये वैसी वस्तुयें नहीं देना चाहते क्योंकि कोई मनुष्य यह कहता है कि "यह वस्तु चीन को नहीं जानी चाहिये ।" सत्य तो यह है कि स्वयं हमारे पास इन सामग्रियों की कमी है और हम ऐसी वस्तुयें और किसी देश को निर्यात नहीं करते । पाकिस्तान को लोहा और इस्पात की बहुत कम मात्रा निर्यात की जाती है, और बर्मा को और भी थोड़ी सी मात्रा भेजी जाती है ; चुनाचि य दोनों हमारे पड़ौसी देश हैं । अतः एव व्यापार का यह आदर्श केवल इसलिये विकसित नहीं हुआ है कि दोनों देशों की अर्थनीति समानान्तर है ।

मैं इस सिलसिले में यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मुझे फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के सचिव से इस बात का पता चला कि चीनी दूतावास के वाणिज्यिक सहचारी ने कल ही इंडियन चैम्बर आफ कामर्स को देखा और वहां से कुछ सविस्तर सूचना मांगी, और ऐसा लग रहा है कि कोई व्यापार आन्दोलन चलेगा और इन चैम्बर्स आफ कामर्स के साथ क्रमशः संपर्क में आने की संभावना है । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो भी सहायता दी जा सकती है, दी जाएगी और माननीय सदस्य इस पर विश्वास कर सकते हैं ।

इसके पश्चात् कालिम्पोंग के सम्बन्ध में प्रश्न प्रस्तुत होता है । जहां तक कालिम्पोंग के व्यापार का प्रश्न है सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी भी रूप में व्यापार को रोकना नहीं चाहते हैं । इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स और पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से हमारे पास प्रतिनिधान पहुंचे थ जिन में यह बतलाया गया था कि तिब्बत के साथ व्यापार के संबंध में कालिम्पोंग में भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध, कुछ हद तक भेदनीति बरती जा रही है । इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि यह भेदनीति इसलिये बरती जा रही है कि भारतीय व्यापारियों को तिब्बत के साथ व्यापार से, जो तिब्बतियों के ही पक्ष में है, बिल्कुल वहिष्कृत किया जाय । इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है जो तिब्बत की ऊन के सम्बन्ध में है । यह भी स्पष्ट होगा कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा तिब्बती ऊन की खरीद रुक जाने के परिणामस्वरूप चीनी सरकार जिसने उसे खरीदने का काम लिया था, ने कालिम्पोंग स्थित तिब्बती गोदाम वालों से ही ऊन खरीदी, भारतीय गोदाम वालों से नहीं । पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा किये गये प्रतिनिधानों में जो भी बातें पूछी गई थीं, उन पर पूछताछ के लिये हमने सिक्किम स्थित अपने राजनीतिक एजेन्ट को लिखा कि वह स्थिति की एक रिपोर्ट दे । अभी भी उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जहां तक सीमा पर लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं के रोके जाने की शिकायतों का प्रश्न है, हम ने पूछताछ करवाई है । हमारा यह निश्चय है कि सरकार की ओर से कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है । हो सकता है कि किसी स्थानीय अधिकारी ने कुछ एक दिनों के लिये वे वस्तुयें रोक ली हों। सरकार उस नीति पर बद्ध नहीं है । यह तो स्वाभाविक है कि हम सरकार की नीति के किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने की बात को बुरा मानेंगे ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मैं पाकिस्तान तथा बर्मा को लोहा तथा इस्पात के निर्यात किये जाने का उल्लेख कर चुका हूं, और जहां तक कालिम्पोंग व्यापार का प्रश्न है, वैदेशिक कार्य मंत्रालय इस बात के लिए उत्साह रखता है कि लोहे और इस्पात की कुछ मात्र को कालिम्पोंग निर्यात करने की आज्ञा दी जानी चाहिये और मुझे इस बात का भी स्मरण हो रहा है कि मैं ने सदन में एक बार इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि हम उसी प्रणाली द्वारा कालिम्पोंग तक लोहा और इस्पात भेजने की आज्ञा दे रहे हैं । विगत वर्ष सिक्किम स्थित राजनीतिक एजेण्ट ने हम से इस बात की हिदायतें मांगी थीं कि अनुज्ञाप्तयां जारी करने की प्रणाली से निर्यात पर नियंत्रण किया जाय, और उस के बाद यह निश्चय किया गया था कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध भी टीक नहीं और व्यापार भी निर्बाध रूप में छोड दिया जाना चाहिये। अत: एव में कुछ चकित हो रहा हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार का वक्तव्य दें कि कालिम्पोंग के रास्ते तिब्बती व्यापार के विरुद्ध कोई निश्चित नीति जान बूझ कर बनाई गई है।

माननीय सदस्य ने जहाजों का उल्लेख किया । जहां तक हमारा प्रश्न है चीनी समुद्र में केवल ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन जहाज़ चला सकती है । वे अभी नियमित रूप से जहाज़ चलाने की स्थिति में नहीं हैं । उन्होंने माल लाने-ले जाने वाले जहाजों के लिये आदेश भेजा है । और वे अभी भी पुराने माल जहाज़ों की तलाश में हैं । इस समय यदि पर्याप्त सामान उपलब्ध हो सका तो, वे कभी कभी जहाज़ चला सकते हैं । हम यह आशा करते हैं कि इस तथ्य से लाभ उठाना संभव होगा कि जब अन्य जहाज़ कम्पनियों को जहाज़ चलाने की आज्ञा दी जायेगी तो यह कारपोरेशन अपना व्यापार जमा सकेगी तथा सुधार सकेगी ।

जहां तक विदेशी जहाज़ मार्गों पर सरकार द्वारा नियंत्रण चलाने का प्रश्न है, इस मामले पर बहस की जा चुकी है और भारतीय जाहजों के सम्बन्ध में भी यद्यपि वे यू० के० मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट, १८९४ के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, इस प्रकार का कोई भी विनियम जो यू० के० एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत जहाज़ों पर लगाया जायेगा, भारतीय जहाज़ों पर लागू नहीं होगा।

मेरे विचार में मैं अपने मान्य मित्र को चीनी व्यापार से सम्बन्धित प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे चुका हूं; व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं है और हम इन दोनों देशों के बीच व्यापार का विकास देखना चाहते हैं किन्तु इस के साथ साथ कई कठिनाइयां भी हैं । यदि इन दोनों देशों के बीच के व्यापर के गठन की ये कठिनाइयां दूर हो गई तो हमें इस बात की आशा है कि अधिक अच्छे व्यापार-सम्बन्ध स्थापित होंगे और चीन के साथ हमारे देश का व्यापार बढ़ जायेगा ।

श्री जी० पी० सिन्हा (पालामऊ व हजारीबाग व रांची) : श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : बस, और कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जायेगा । अब कल के ८-१५ म० पू० तक के लिये सदन की बैठक स्थगित होगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार ८ मई १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।